वार्षिक प्रतिवेदन
2016-17

चौ. चरण सिंह
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान
कोटा रोड, बम्बाला, प्रताप नगर
निकट सांगानेर, जयपुर–302033

विषय–वस्तु

क्रं.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
(i)	संस्थान के बारे में	3
(ii)	सामान्य निकाय	4
(iii)	कार्यकारी समिति के सदस्य	5
(iv)	नियाम की अकादमिक की स्थायी समिति के सदस्य	6
(v)	मुख्य बिन्दु	7
1.0	**परिचय**	**11–14**
1.1	संस्थान	11
1.2	परिकल्पना	11
1.3	ध्येय	11
1.4	अधिधेश	12
1.5	लक्ष्य	12
1.6	12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्थान का प्रदर्शन	13
1.7	केन्द्र	14
1.8	प्रेरित क्षेत्र या महत्वपूर्ण क्षेत्र	14
2.0	**प्रशिक्षण गतिविधियां (2016–17)**	**15–23**
2.1	सहयोग	15
2.2	प्रशिक्षण प्रक्रिया	16
2.3	क्षेत्र	17
2.4	कार्यक्रमों का राज्यवार वितरण	17
2.5	प्रमुख प्रशिक्षण उपलब्धियां	19
3.0	**शोध अध्ययन**	**24–26**
3.1	वर्ष 2016–17 के दौरान संचालित किये गये शोध अध्ययनों की सूची	24
3.2	आयोजित किये गये प्रमुख शोध अध्ययनों का संक्षिप्त वृतान्त	24
3.3	वस्तु स्थिति का अध्ययन	26
4.0	**परामर्शदात्री परियोजनायें**	**27–28**
4.1	सिक्किम के जैविक उत्पाद के लिये विपणन रणनीतियां	27
4.2	मेघालैम्प– राष्ट्रीय कृषि मण्डियों का भ्रमण	27
4.3	वस्तु यौगिक पद मार्केट पर जारूकता कार्यक्रम	28
4.4	गोदामों के पंजीकरण के बाद होने वाला निरीक्षण	28
4.5	विक्रय भंडारगृह रसीदों एवं डब्ल्यूडीआरए की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम	28
4.6	पंजीकृत भंडारगृहों के भंडारकर्मियों की क्षमता विकास	28
5.0	**शैक्षिक कार्यक्रम**	**29–30**
5.1	मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिये एफपीओ प्रबंधन पर सर्टिफिकेट कोर्स	29
5.2	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कृषि व्यवसाय प्रबंधन)	29
6.0	**प्रशासनिक एवं लेखा मामले**	**31–33**
अनुलग्नक (1 से 8 तक)		37–58

श्री राधा मोहन सिंह
माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
एवं
अध्यक्ष, सीसीएस नियाम, साधारण सभा

सरकार इस बारे में जागरूक है कि बाजार पद्धतियों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है जिसके कारण फसलोत्पादन उपरान्त होने वाली क्षति को बचाया जा सके और किसान को उन दोनों परिस्थितियों जिनमें अति उत्पादन और कम उत्पादन होने के कारण भावों में उतार–चढ़ाव का सामना करना पड़ता हैं। कम उत्पादन की स्थिति में बाजार अवशेष बहुत कम बचता हैं। इस परिस्थिति में ऐसी पद्धतियों का उपयोग करना है जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन, विविध कृषि, उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन, कृषि वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को अपनाकर अधिक मूल्य अर्जन कर किसान की आय को बढ़ाना है।

श्री परशोत्तम रूपाला
माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
और
सीसीएस नियाम की साधारण सभा के उपाध्यक्ष

सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना शुरू की है, जिसके माध्यम से किसान अपने कृषि उत्पादों का ऑन–लाइन व्यापार किसी भी बाजार में जो कि पोर्टल पर एकीकृत होगा कर सकेगा जिस पर खरीदार पंजीकृत होगें

संस्थान के बारे में

चौधरी चरण सिंह
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान
(सीसीएस नियाम)

सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (सीसीएस नियाम) अगस्त 1988 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक उत्कृष्ट संस्थान हैं जिसे कृषि विपणन पद्धतियों की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्धेश्य स्थापित किया गया था। संस्थान का उद्धेश्य एक ऐसी प्रणाली को विकसित करना है जो कि प्राथमिक उत्पाद को शिक्षण, प्रशिक्षण प्रयुक्त शोध, नीति का समर्थन करना और परामर्शदात्री सेवाओं के माध्यम से विभिन्न हितधारकों की क्षमता में विकास कर उन्हें समावेशी और शक्ति प्रदान करना है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सीसीएस नियाम की साधारण सभा के अध्यक्ष हैं और सचिव, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण, कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं।

साधारण सभा

क्रं.सं.	संस्था के सदस्य	पद
1	भारत सरकार के माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो कि संस्था से सम्बद्ध हैं	अध्यक्ष
2	भारत सरकार के माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री जो कि संस्था से सम्बद्ध हैं	उपाध्यक्ष
3	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
4	अतिरिक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5	अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
6	संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
7	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार	सदस्य
8	सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, भारत सरकार	सदस्य
9	आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
10	अध्यक्ष/सदस्य सचिव, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी), नई दिल्ली	सदस्य
11	अध्यक्ष, परिषद्, राज्य कृषि विपणन मंडल (सीओएसएएमबी), नई दिल्ली	सदस्य
12	निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	सदस्य
13	निदेशक, भारतीय प्रबंधन पैकेजिंग संस्थान, अहमदाबाद	सदस्य
14	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी), नई दिल्ली	सदस्य
15	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन मंडल (नैफेड), नई दिल्ली	सदस्य
16	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), नई दिल्ली	सदस्य
17	सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
18	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन कॉर्पोरेशन (नैरामैक), गुवाहाटी	सदस्य
19	महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रयुक्त व्यवहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर), नई दिल्ली	सदस्य
20	महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), हैदराबाद	सदस्य
21	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, कृषि उत्पाद निर्यात विकास एजेन्सी (अपीडा), नई दिल्ली	सदस्य
22	महानिदेशक, चौ. चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	सदस्य

कार्यकारी समिति के सदस्य

क्र.सं.	संस्था के सदस्य	पद
1.	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहाकार, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय/विभाग जो कि संस्था से सम्बद्ध	सदस्य
3.	अतिरिक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5.	प्रधान सचिव (कृषि), राजस्थान सरकार	सदस्य
6.	अध्यक्ष, राज्य कृषि विपणन मंडल परिषद्, नई दिल्ली	सदस्य
7.	महानिदेशक, सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	सदस्य

नियाम की शैक्षिक स्थायी समिति के सदस्य

1	डॉ. इरीना गर्ग	महानिदेशक, सीसीएस नियाम
2	डॉ. वसन्त गाँधी	प्रोफेसर, आईआईएम, बंगलौर
3	डॉ. सनल कुमार वेलेयुधान	प्रोफेसर, आईआईएम, बंगलौर
4	डॉ. मिथलेश्वर झा	प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) आईआईएम, बंगलौर
5	डॉ. दिनेश अवस्थी	निदेशक (सेवानिवृत्त), ईडीआई
6	डॉ. अमर केजेआर नायक	प्रोफेसर, एक्सआईएम, भुवनेश्वर
7	डॉ. सुखपाल सिंह	प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद
8	डॉ. हेमा यादव	निदेशक, सीसीएस नियाम, जयपुर
9	डॉ. रमेश मित्तल	उपनिदेशक, सीसीएस नियाम, जयपुर
10	डॉ. एस. आर. सिंह	उपनिदेशक, सीसीएस नियाम, जयपुर

मुख्य बिन्दु

प्रशिक्षण

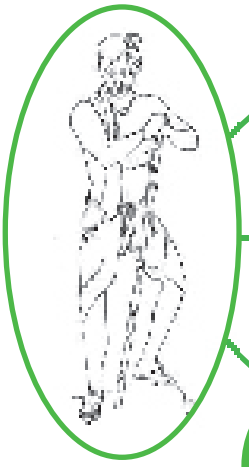

व्यापक क्षेत्र

- 1762 हितधारक
- 43 प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 01 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- 10 राज्य
- 01 शिक्षात्मक कार्यक्रम

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना

- 15 कार्यक्रम
- 565 हिस्साधारक

धरातल तक पहुंचना

- 18 किसान कार्यक्रम
- 04 एफपीओ के कार्यक्रम
- 472 पिछड़ी जाति
- 94 अनुसूचित जाति
- 88 अनुसूचित जनजाति

International Outreach
27 - Participants
9 - Countries
Aim : Feed the Future

पिरामिड के धरातल तक पहुँच

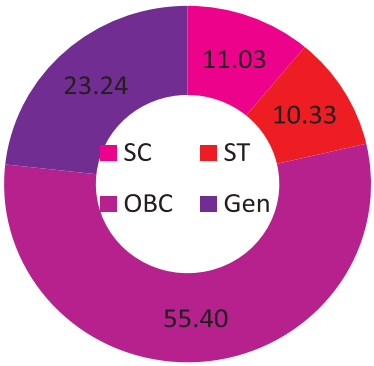

☼

किसान जागरूकता कार्यक्रम में 3/4 से भी अधिक सहभागी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग श्रेणियों से थे।

मुख्य बिन्दु

अनुसंधान

उत्तर –पूर्वी क्षेत्र पर व्यापक फोकस

- मेघालय, त्रिपुरा और आसाम के लिये विपणन रणनीति विकसित की गई
- उत्तर–पूर्वी राज्य की 12 कृषि जिन्सों की मूल्य श्रृंखला का विश्लेषण करना
- आय बढ़ाने के लिये टमाटर और मटर की खेती में अंतरण का आंकलन
- उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के 10 कृषि जिन्सों की निर्यात सम्भावनाओं का आंकलन करना
- उत्तर–पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना

उच्च कोटि की उपज

- बिहार में मखाना
- औषधीय एवं सगंध पौधे
- कार्बनिक उपज (सिक्किम)

नवोन्मेष

- वास्तविक दुनिया की स्थिति का विश्लेषण करने के लिये केस अध्ययन दृष्टिकोण
- प्रशिक्षण शिक्षाशास्त्र के परिशिष्ट
- लेखन और क्रियान्वित मामलों पर कार्यशाला
- 5 केस स्टडी की पहचान की गई

निधियन

- 06 बाहरी वित्त पोषित अनुसंधान अध्ययन
- निधीयन एजेन्सी
  - ☼ एमआईडीएच,
  - ☼ नाबार्ड,
  - ☼ राष्ट्रीय औषधीय पादप मंडल

मुख्य बिन्दु

परामर्श

क्षमता संवर्धन
(कृषि–भंडार गृह एवं वैज्ञानिक भंडारण)

संगठन– भंडारण विकास एवं नियंत्रक प्राधिकरण (वाड्रा) और आन्ध्र प्रदेश राज्य भंडारण संघ (एपीएसडब्ल्यूसी)

- वाड्रा, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित
- केन्द्र बिन्दु– हितधारकों का क्षमता वर्धन एवं निरीक्षण
- क्षेत्र
  - कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट (01)
  - गोदामों का निरीक्षण के बाद पंजीकरण (04)
  - नियोज्य गोदाम रसीदें (10)
  - पंजीकृत भंडारगृहों के भंडारकर्मियों का क्षमता संवर्धन (04)

मेघालय सरकार

- परियोजना– मेघा लैम्प
- मेघालय सरकार के लिये परियोजना
- किसानों को बाजार तक पहुंचाने में ध्यान केन्द्रित करें
- राष्ट्रीय महत्त्व के बाजारों का भ्रमण
- 4 राज्यों के 8 बाजारों को शामिल किया गया

सिक्किम के जैविक उत्पाद के लिये विपणन की रणनीति

- सिक्किम के जैविक उत्पाद के लिये विपणन रणनीति
- चार फसलें शामिल
- विपणन रणनीति पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिससे किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य मिल सके

एनएमपीबी

- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के लिये परियोजना
- औषधीय पौधों के विपणन पर ध्यान केन्द्रित

मुख्य बिन्दु

प्रशासन

सभाऐं

8 वर्ष के अन्तराल के बाद नवीं साधारण सभा 26.10.2016 को हुई थी।
41वी कार्यकारी समिति की सभा 07.09.2016 को हुई थी।
कार्यकारी समिति सभा को सुगम बनाने के लिये शैक्षिक समिति का आयोजन किया गया।

मूलभूत सुविधायें

20 कमरों का पुनः निर्माण किया गया।
सौर प्रणाली की स्थापना पर कार्य शुरू किया गया।
महिला छात्रावास का पुनः–निर्माण शुरू किया गया।

मानव संसाधन विकास और कुशल कार्य परिवेश

संकाय विकास नीति सीखकर जीविका अर्जित करो विकसित की गयी।
अन्य संगठनों के साथ नैटवर्किंग की गयी।
बर्ड एवं सीएयू, मणिपुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।

संस्थानिक विकास

3 केन्द्रों की स्थापना की गयी।
सार्क राष्ट्रों के आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये नोडल ऐजेन्सी
एमआईडीएच के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर संस्था के रूप में सूचीबद्ध

वित्तीय

ऑनलाईन भुगतान शुरू किया गया (नोटबन्दी के बाद 100 प्रतिशत नगद मुक्त लेनदेन)
वर्ष 2016–17 के दौरान परामर्श/परियोजनाओं के माध्यम से रू. 147.79 लाख निधि का स्वअर्जन किया जबकि यह राशि वर्ष 2015–16 में रू. 35.43 लाख थी।

1. परिचय

व्यापार व्यवहार, व्यापार के अवसर और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के संदर्भ में कृषि पर्यावरण बदल रहा है। कम से कम भूमि से अधिक आय उत्पन्न करने का दबाव है और साथ ही नए एकीकृत उच्च मूल्य वाले कृषि वस्तु श्रृंखला के उभरने और प्रौद्योगिकी के माध्यमसे जानकारी तक पहुंचने के माध्यम उपलब्ध कराये जाने के अवसर हैं। विशेष रूप से विपणन के लिये किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये रणनीति को बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को समायोजित करना है।

नियाम, कृषि विपणन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसके क्रियान्वयन के क्षेत्र में कार्य करके पर्यावरण में बदलाव के साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का ध्यान जैसे कि किसान विकास वृक्ष, राष्ट्रीय कृषि बाजार, मुख्य रूप से बागवानी और जैविक फसलों के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला का विकास और विशेष रूप से उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिये विपणन रणनीतियों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना है। नियाम ने किसान व्यापार स्कूल (केबीएस) के टैस्ट पायलट जैसी योजना चलाकर किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद के लिये कई पहल की हैं, जिनका केन्द्र बिन्दु प्रशिक्षण में बदलाव लाकर किया ताकि वे कुशल प्रबंधक और उद्यमी बन सकें।

किसान उत्पादक संगठनों के लिये प्रशिक्षण मापदंड में बदलाव लाकर उनकी मदद की है ताकि वे व्यवसाय योजना को कार्यान्वित करते हुए इस सिद्धान्त में टिकाउपन ला सके।

सीसीएस नियाम दक्षिणी–पूर्वी एशिया एवं अफ्रीकी देशों के लिये कृषि विपणन के क्षेत्र में एक मुख्य संगठन के रूप में विकसित हो रहा है। यह सार्क देशों के लिये प्रशिक्षण और परामर्शदाता केन्द्र संसाधान केन्द और यूएसएड के एफटीएफ के लिये मुख्य केन्द्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में नामांकित हुआ है। सीसीएस नियाम सफलतापूर्वक विभिन्न प्रकार के हितधारकों की प्रशिक्षण, परामर्श, शिक्षा और अनुसंधान की आवश्यकताओं को भली–भांति पूरी कर रहा है।

1.1. संस्थान

सीसीएस नियाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में कार्य करने वाली एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसको भारत और साथ ही दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों में कृषि विपणन कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने के लिये वर्ष 1988 में एक पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। संस्थान किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने, समस्त मुद्दों पर शोध करने, सरकार के लिये निर्णय लेने वालों के लिये परामर्श सेवाएं, कृषि विपणन और सरकार के लिये निजी क्षेत्र की नीतियों के लिये परामर्श सेवाएं तैयार करने और सरकार को नीतिगत समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और कृषि विपणन क्षेत्र में विकास की सुविधा और दक्षता लाने में मदद कर रहा है।

1.2. परिकल्पना

एक उत्कृष्ट संस्थान होनें और ज्ञान संग्रह के रूप में, जिससे कृषि विपणन पद्धतियों की क्षमता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके, जिससे प्राथमिक उत्पादक को शक्तिशाली बनाया जा सके और विभिन्न हितधारकों की प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, नीति वकालत और परामर्श सेवाओं के माध्यम से क्षमता का विकास किया जा सके।

1.3. ध्येय

- प्राथमिक कृषकों को योग्य बनाना विशेषकर छोटे और मंझौले किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक कार्यक्रम द्वारा अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए कारगर रणनीति विकसित करना।

- अनुप्रयुक्त शोध द्वारा कुशल, टिकाऊ और सम्मिलित कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सुसाध्य बनाना।
- कृषि जन्य व्यापार के लिये नवीन शिक्षण और पेशेवर लोगों को उभरते हुए शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित करना।
- क्रिया उन्मुख और अनुप्रयुक्त परामर्श के माध्यम से कृषि विपणन पर सार्वजनिक नीति के निर्माण और बदलाव की सुविधा प्रदान करना।
- वैश्विक खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि के लिये अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।
- अनुसंधान और उसके प्रसार को बढ़ावा देने के माध्यम से कृषि व्यवसाय बाजार के विकास और प्रबंधन ज्ञान और अभ्यास में योगदान करना।

1.4. जनादेश

संस्थान के जनादेश निम्न प्रकार है :

1. प्रशिक्षण: मौजूदा कृषि विपणन कर्मियों के कौशल का उन्नयन करना।
2. अनुसंधान: कृषि विपणन के विभिन्न समकालीन पहलुओं पर शोध।
3. परामर्श: कृषि विपणन में सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र के नीति निर्धारकों के लिये परामर्शदात्री सेवायें।
4. शिक्षा: कृषि व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम द्वारा युवा प्रबंधक एवं पेशेवर व्यक्तियों को तैयार करना।
5. कृषि विपणन द्वारा डी.ए.सी. (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के लिये नीतिगत समर्थन और योजनाओं का सूत्रीकरण।

1.5. उद्देश्यः

संस्थान के ज्ञापन और नियम और विनयम के अनुसार मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- कृषि विपणन के समस्याग्रस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रयोज्य एवं कार्यात्मक अनुसंधान का अध्ययन व इसे बढ़ावा देना, देश में कृषि विपणन से सम्बन्धित विभिन्न अनुसंधान अध्ययन एवं तकनीकों का प्रसार एवं उनके समन्वय के लिये राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करना।
- राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एसएएमबी) जैसे कृषि विपणन गतिविधियों, कृषि विकास, बागवानी पशु पालन, मछली पालन, वानिकी, रेशम कीट पालन, काडा, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, सहकारी विपणन संस्थायें, कमोडिटी बोर्ड, निवेश ऐजेन्सीज और प्रगतिशील किसान, उद्यमी आदि जैसे कृषि विकास गतिविधियों में शामिल संगठनों के विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- दीर्घकालीन परियोजनाओं पर अनुसंधान कार्य करना, नीतियां निर्धारण करना, प्रमुख मामलों व मुद्दों सहित प्रसंस्करण उद्योगों निर्यात प्रबन्ध आदि जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सीधे असर डालते हैं की विशिष्ट विपणन समस्याओं का अध्ययन कर स्थिति पत्र तैयार करना।

- राज्य और केन्द्रीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र निगमों को परामर्श सेवायें एवं राज्यों के व्यापारियों एवं किसानों के लिये मास्टर प्लान तैयार करना।
- डिप्लोमा/डिग्री कार्यक्रमों द्वारा कृषि विपणन क्षेत्र में दीर्घ अवधि पाठ्यक्रम उपलब्ध करा कर मानव संसाधनों का विकास करना।
- स्थानीय संभावित स्रोतों को उपयोग में लाते हुये शिक्षित युवाओं को स्व–रोजगार सृजित कर राज्य सरकार की सहायता करना।
- कृषि विपणन क्षेत्र के ज्वलन्त मुद्दों पर नीति निर्धारण कर सरकार को सहयोग देना।
- प्रभावी, नवाचारी एवं प्रतिस्पर्धात्मक विपणन विधि विकसित करने व सभी सम्बन्धित लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिये देश में कृषि विपणन क्षेत्र के लिये विस्तृत सूचना तंत्र उपलब्ध कराना।
- अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सम्मिलित करते हुये उपर्युक्त नेट वर्किंग स्थापना द्वारा कृषि विपणन के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित होना।

1.6. 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्थान का प्रदर्शनः

प्रशिक्षण और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रदर्शन के जरिए सीसीएस नियाम ने विस्तृत हितधारकों की क्षमता के निर्माण पर विशेष जोर दिया है। नियाम ने कृषि विपणन प्रणाली विकसित करने में राज्यों को परामर्श सेवाओं की पेशकश में भी उत्सुकता दिखाई है। अनुसंधान और सर्वेक्षण के क्षेत्र में 15 अनुसंधान अध्ययन इस योजनावधि के दौरान पूर्ण हुये हैं। प्रशिक्षण पद्धति के पूरक मामले पर आधारित शोध अध्ययनों को लेकर संस्थान ने अनुसंधान पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।

वर्ष	प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी और अन्य		परियोजना एवं परामर्श		व्यवसायिक पाठक्रम एवं अन्य		सर्वेक्षण और अनुसंधान		बजट (रू. करोड़)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	आवंटित	प्राप्त
2012–13	123	125	8	7	2	1	7	2	5.00	5.00
2013–14	125	185	8	10	2	2	7	4	5.50	5.30
2014–15	130	162	6	8	2	2	8	2	6.00	5.04
2015–16	145	148	9	5	2	1	9	1	6.50	2.50
2016–17	152	51	10	4	2	2	10	6	7.00	6.40
योग	675	671	41	34	10	8	41	15	30.00	24.24

1.7. केन्द्र

सीसीएस नियाम के जनादेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये और व्यापक ग्राहकों तक पहुंचने के लिये तीन केन्द्रों की स्थापना की गयी हैं। ये केन्द्र कृषि विपणन में वर्टिकल के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सरकारों के लिये प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श, शिक्षा और नीति निर्धारण (टीआरसीईपी) आदि कार्यान्वित करेंगें।

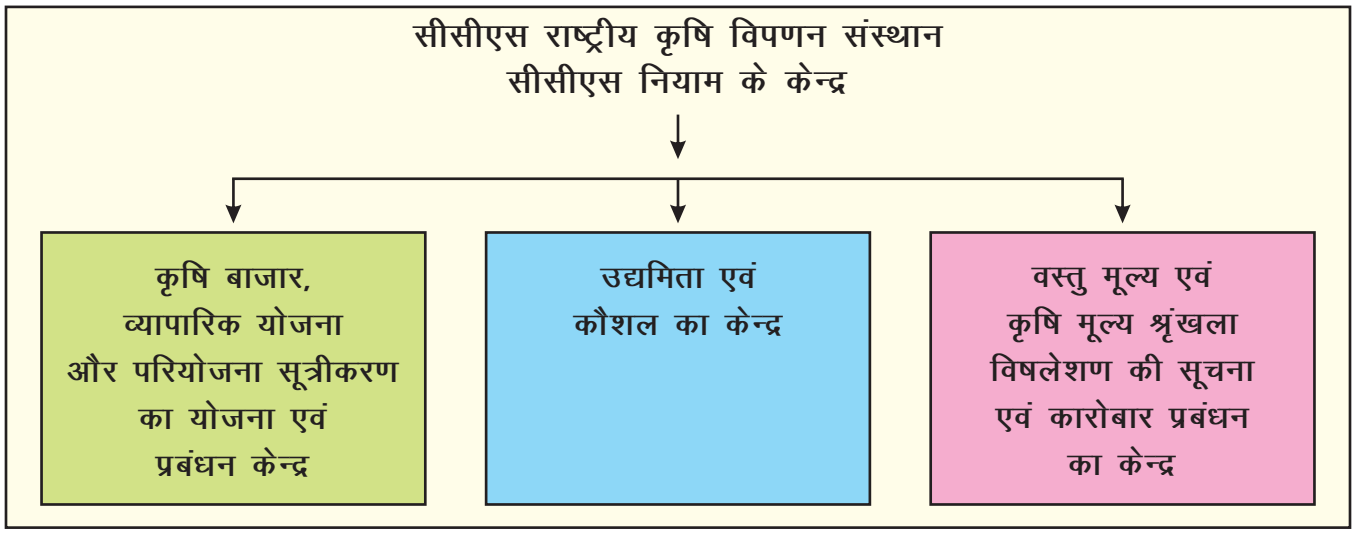

1.8. मुख्य कार्यक्षेत्र

सीसीएस नियाम ने अपने कार्यकलापों को मंत्रालय द्वारा कृषि विकास वृक्ष के माध्यम से चिन्हित किये गये क्षेत्रों के साथ समावेषित किया है। निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:–

1. राष्ट्रीय कृषि बाजार
2. विशेषतौर पर किसानों के लिये अभिकल्पित किये गये शैक्षिक कार्यक्रम
3. बागवानी फसलों का विपणन
4. उच्च मूल्य वस्तु जैसे जैविक उत्पाद के लिये विपणन रणनीतियां
5. कृषि जिन्सों की विस्तृत मूल्य श्रृंखला का विश्लेषण
6. भविष्य एवं अग्रेषित बाजार और वस्तु समाशोधन केन्द्र
7. कृषि विपणन एवं कानूनी सुधार
8. जैविक, औषधीय एवं सुगंध पौधे
9. बाजारजन्य कृषि का विस्तार
10. किसान उत्पादक संगठन
11. भंडारण और गोदाम
12. पराक्रम्य भंडारगृह रसीद और उसके लाभ

2. प्रशिक्षण गतिविधियां (2016–17)

व्यापक स्तर पर हितधारकों के लिये कृषि विपणन और संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में संस्थान लगातार शामिल रहा है। हाल ही के वर्षों में संस्थान ने किसानों के लिये शिक्षा पर ध्यान देने के साथ ही कार्यक्रम विकसित किये है ताकि उन्हें बाजार के साथ जोड़ा जा सकें और अपनी उपज का उचित लाभ उठा सकें। 2016–17 के दौरान 51 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 2088 हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया।

विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिये संस्थान ने कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान देने के लिये अलग–अलग प्रशिक्षण साधनों को अपनाया।

2016–17 के दौरान नियाम द्वारा संचालित विभिन्न तरह के कार्यक्रम की संरचना

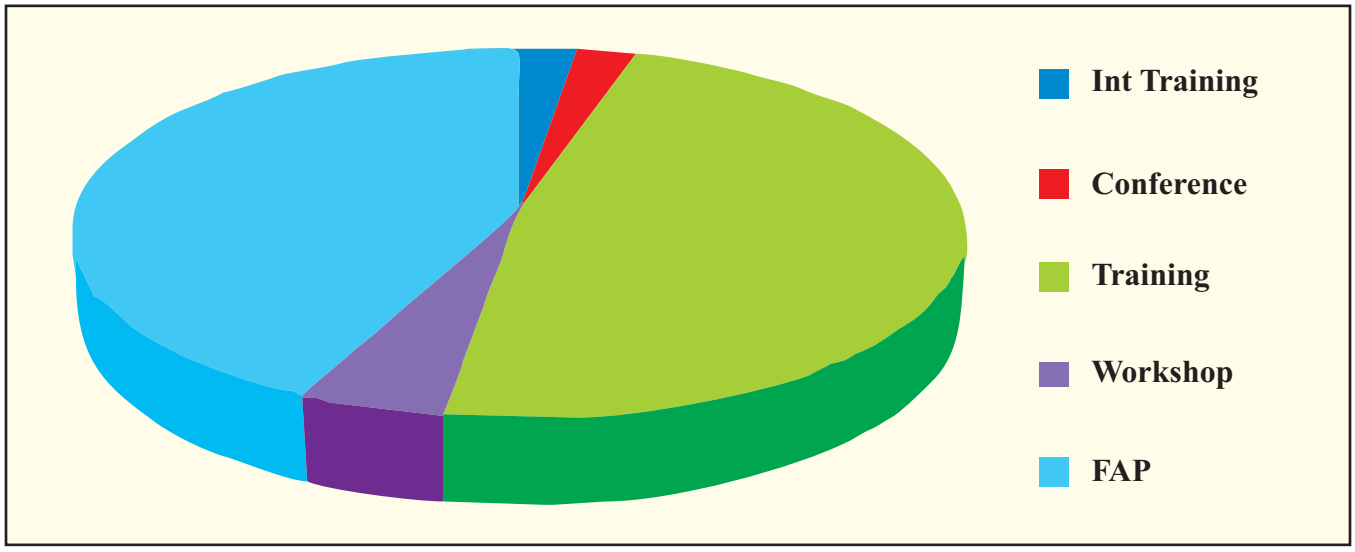

2.1 सहयोग

स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण सामग्री वितरित करके बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिये और स्थानीय रूप से उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए संस्थान ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों के साथ सहयोग स्थापित किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय के लिये संस्थान ने निम्नलिखित संस्थानों/विश्वविद्यालयों /ऐजेंसियों से सहयोग स्थापित किया है।

- अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका ऐजेन्सी
- केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पादप संस्थान, लखनऊ, यूपी
- एनईएच क्षेत्र के लिये आईसीएआर अनुसंधान संकुल
- आसाम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट
- कृषि एवं पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी कॉलेज, गंगटोक

- सगन्ध एवं सुरस विकास केन्द्र, कन्नौज, यूपी
- बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर
- आईसीएआर अनुसंधान केन्द्र, त्रिपुरा
- बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), लखनऊ
- भंडारण विकास एवं विनियम प्राधिकरण, नई दिल्ली
- आन्ध्र प्रदेश राज्य भंडारण प्राधिकरण, हैदराबाद
- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली

2.2 प्रशिक्षण प्रक्रिया या प्रणाली

संस्थान ने विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रशिक्षण प्रणाली का अनुसरण किया है जो कि निम्न चित्र द्वारा दर्शायी गयी है।

2.3 कार्यक्षेत्र व्याप्ति

बाजार आधारित उत्पादन आज समय की मांग है न कि उत्पादन आधारित बाजार। किसान एवं किसान समूहों को आपस में दिशा निर्देश देना है कि वो मांग, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता, बाजार का नेटवर्क, विपणन बुद्धिमत्तता आदि को समझ कर अपने निर्णय करें जिससे बाजार और उनका नेटवर्क अधिक मजबूत हो सके। यह परिवर्तन लाने के लिए खेत से रसोई तक खाद्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए सूचनाओं का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ध्यान देना है जिससे मांग की आपूर्ति इस तरह से की जाये जिसमें कम लागत में अधिक आय प्राप्त की जा सके।

इनको ध्यान में रखते हुए, नियाम ने क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर कार्यक्रम संचालित किये हैं जैसा कि नीचे दिया है:

- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम)
- फसल बीमा
- कृषि व्यापार अवसर
- किसान शैक्षिक कार्यक्रम
- फलों और सब्जियों में उभरता रूझान
- कृषि भंडारण और वैज्ञानिक गोदाम या भंडारण
- मूल्य श्रृंखला विश्लेषण
- मूल्य श्रृंखला विकास
- जैविक उत्पाद के लिये विपणन रणनीति विकसित करना
- औषधीय पौधों का विपणन
- किसान उत्पादक संगठन

2.4 कार्यक्रमों का राज्यवार वितरण

संस्थान के परिसर में कार्यक्रमों को संचालित करने की सुविधा है। हालांकि व्यापक भागेदारी सुनिश्चित करने और किसानों तक पहुंच सुगम बनाने के लिये संस्थान स्थानीय संस्थानों से मिलकर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करता है। कार्यक्रमों का राज्यवार वितरण निम्न चित्र में दिया गया है:–

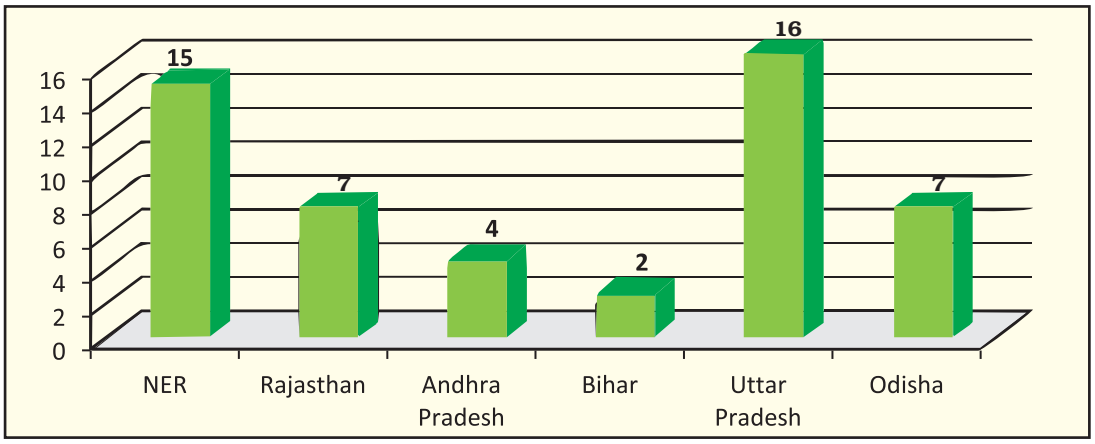

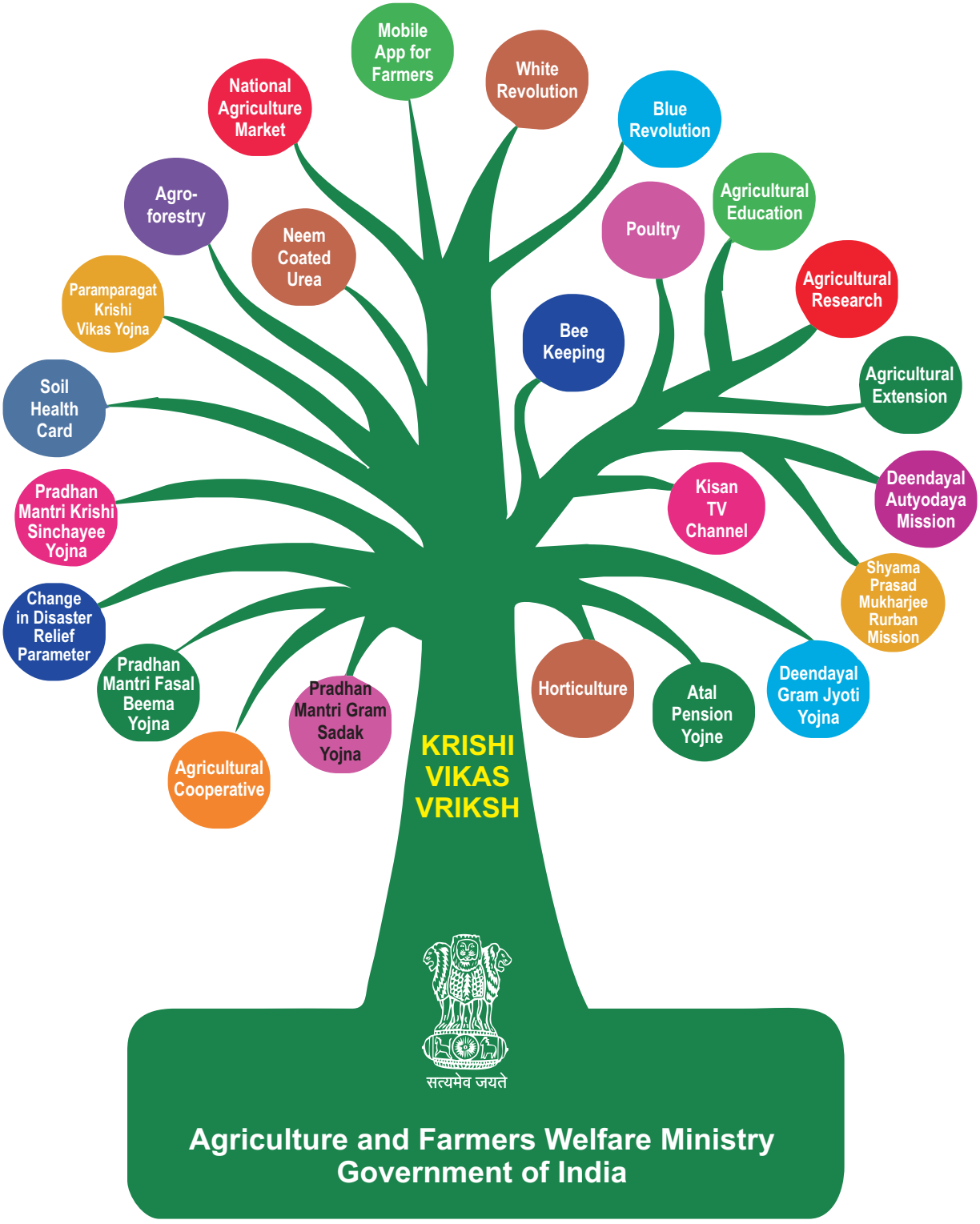
Mobile App for Farmers
White Revolution
National Agriculture Market
Blue Revolution
Agro-forestry
Agricultural Education
Neem Coated Urea
Poultry
Paramparagat Krishi Vikas Yojna
Agricultural Research
Bee Keeping
Soil Health Card
Agricultural Extension
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna
Kisan TV Channel
Deendayal Autyodaya Mission
Shyama Prasad Mukharjee Rurban Mission
Change in Disaster Relief Parameter
Pradhan Mantri Fasal Beema Yojna
Horticulture
Atal Pension Yojne
Deendayal Gram Jyoti Yojna
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna
Agricultural Cooperative
KRISHI VIKAS VRIKSH
सत्यमेव जयते
Agriculture and Farmers Welfare Ministry
Government of India

2.5 प्रमुख प्रशिक्षण उपलब्धियां

फलों और सब्जी विपणन में उभरते रूझान पर अर्न्तराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

अवधि	:	16–30 नवम्बर, 2016
निधीयन	:	यूएसएआईडी, नई दिल्ली
घटक	:	फीड द फ्युचर
सहभागी	:	27
देश	:	09
देश	:	लाइबेरिया, केन्या, मालावी, बोत्सवाना, मोजाम्बीक, अफगानिस्तान, मंगोलिया और कम्बोडिया
कार्यक्रम का उद्धेश्य	:	फलों और सब्जियों के विपणन में नये रूझान की समझ, जिससे अफ्रीका और एशिया में उत्पाद और बाजार और उनके उपयोगकर्ता नई चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार किये जा सकें और नई अवसरों में भाग ले सकें।

महामहिम श्री रिचर्ड वर्मा कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

''सीसीएस नियाम के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को फलों और सब्जियों के विपणन में वैश्विक रूझानों से संबंधित पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया, उन्हें खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की आवश्यकताओं के महत्त्व को समझने में मदद मिलेगी और कैसे एक समर्थक शक्ति के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है, सामूहिक रूप से, इन रणनीतियों में निवेश और उद्यमशीलता के विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाने की क्षमता है।''

महामहिम
श्री रिचर्ड वर्मा

डॉ. इरिना गर्ग, महानिदेशक, नियाम

डॉ. इरिना गर्ग, महा निदेशक, सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वतंत्रता घोषित करने के लिये भोजन और पर्याप्त पोषण के बिना, जीवन की मानवता, आजादी और खुशी की खोज के असहनीय अधिकारों को निहित किया जायेगा। इसलिये यह आवश्यक है हम बेहतर उत्पादन, अपशिष्ट की रोकथाम और कृषि उत्पादन के कुशल वितरण के लिये रणनीति विकसित करके अपर्याप्त भोजन और पोषण की समस्या का समाधान करने के लिये एक साथ आयें।

कृषि विपणन में स्वच्छ भारत अभियान

सीसीएस नियाम महसूस करता है कि कृषि विपणन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा बड़े पैमाने पर योगदान देने की क्षमता रखता है। कृषि विपणन क्षेत्र में अभियान का विस्तार करने से न केवल कृषि फसलों में कटाई उपरान्त होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है बल्कि यह उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के साथ–साथ कृषकों को उचित मूल्य दिलाने में योगदान दिलाने में भी महती भूमिका अदा कर सकता है। संस्थान ने कृषि विपणन में स्वच्छ भारत अभियान के सिद्धान्तों को लागू करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है जिससे मण्डियों में सफाई को बढ़ावा मिल सके और फसलों की कटाई के उपरान्त होने वाली क्षति को कम किया जा सके। इस कार्यक्रम को सहभागियों एवं राज्य सरकारों द्वारा सराहा गया है और इसे भविष्य में बड़े स्तर पर लागू करने के लिये मांग की गयी है।

C.C.S. NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL MARKETING, JAIPUR

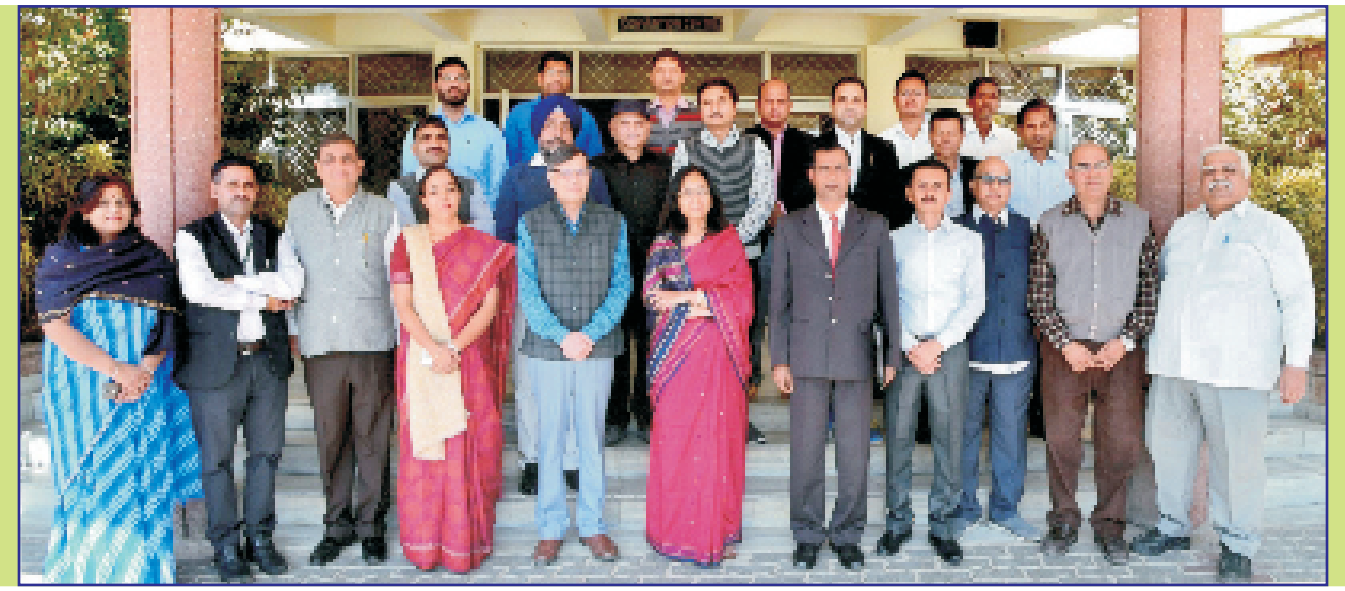

कृषि विपणन में स्वच्छ भारत अभियान लागू करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि भंडारण एवं वैज्ञानिक संग्रहण कार्यप्रणाली पर क्षमता विकास कार्यक्रम

क्षमता विकास कार्यक्रम भंडागृहों की संचालन क्षमता को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तदनुसार, सीसीएस नियाम ने आंध्र प्रदेश राज्य गोदाम निगम, हैदराबाद के सहयोग से निगम के गोदाम प्रबंधकों, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये कृषि–भंडारण और वैज्ञानिक भंडारण प्रथाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने की एक अनूठी पहल की हैं।

श्री ए.आर. सुकुमार, प्रबंध निदेशक, आंध्र प्रदेश, राज्य भंडारण प्राधिकरण, हैदराबाद द्वारा प्रशिक्षण नियामवली जारी की गई

नीचे दिये गये विवरण के अनुसार माह जून, 2016 के दौरान कुल 60 प्रतिभागियों के लिये तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये:

स्थान	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
तिरूपति	06–08 जून, 2016	20
विजयवाड़ा	10–12 जून, 2016	20
विशाखापट्टनम	14–16 जून, 2016	20

अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम

विपणन रणनीतियों पर कार्यशाला– सीसीएस नियाम द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के सहयोग से कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया में मखाना मूल्य श्रृंखला में शामिल विभिन्न हितधारकों की समस्याओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में 175 से ज्यादा मखाना किसान, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं और अन्य हिताधारकों ने भाग लिया, जिनमें बिहार के मुख्य जिलों जैसे पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और किशनगंज के हितधारकों ने भाग लिया।

गोलमेज चर्चा– संस्थान द्वारा 29 अप्रैल, 2016 को ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' पर जयपुर में एक गोलमेज चर्चा आयोजित की गयी जिसकी अध्यक्षता, महानिदेशक, सीसीएस नियाम और संयुक्त सचिव (क्रेडिट) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गयी। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश और बीमा कम्पनियों के 42 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम– छोटे एवं लघु उत्पादकों की उद्यम कौशल का विकास करने के लिये उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में रबर उत्पादकों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किये गये। कार्यक्रम उन्मुख प्रतिभागियों को अपनी नियमित खेती के पहलुओं से परे एक व्यापार के रूप में रबर की खेती पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया। वर्तमान वित्त वर्ष में आयोजित किये गये दस कार्यक्रमों द्वारा रबर उत्पादकों की जिंदगी में एक अर्थपूर्ण प्रभाव डाला। कार्यक्रम का उद्धेश्य उत्पादकों की मानसिकता को बदल कर रबर उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना था जिससे उन्हें बेहतर आय प्राप्त करने के लिये सक्षम बनाया जा सके।

3. शोध अध्ययन

सीसीएस नियाम ने अनुसंधान के लिये अपने जनादेश के साथ कृषि विपणन के विभिन्न समकालीन पहलुओं पर न केवल नीति बनाने में बल्कि सुविधा के व्यापक हितधारकों के लिये लागू किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को समृद्ध करने पर ध्यान केन्द्रित किया।

3.1 वर्ष 2016–17 के दौरान संचालित किये गये अध्ययनों की सूची

वर्ष 2016–17 के दौरान पूर्ण किये गये अध्ययनों की सूची नीचे प्रस्तुत की गयी है–

क्र.सं.	अध्ययन
	बाह्य रूप से वित्त पोषित अध्ययन
1	बागवानी उत्पाद के निर्यात के लिये उत्तर–पूर्वी क्षेत्र का एक तुलनात्मक लाभ का विश्लेषण (वित्त पोषित एमआईडीएच)
2	बाजार के साथ किसानों के एकीकरण को बढ़ाने के लिये मखाना मूल्य श्रृंखला का विश्लेषण (वित्त पोषित एमआईडीएच)
3	मेघालय में बागवानी फसलों के लिये विपणन रणनीतियां (वित्त पोषित एमआईडीएच)
4	त्रिपुरा में बागवानी फसलों के लिये विपणन रणनीतियां (वित्त पोषित एमआईडीएच)
5	आसाम में बागवानी फसलों के लिये विपणन रणनीतियां (वित्त पोषित एमआईडीएच)
6	बागवानी मूल्य श्रृंखला में किसानों की सहभागिता द्वारा आय वृद्धि (वित्त पोषित नाबार्ड)

3.2 वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित किये गये प्रमुख अनुसंधान अध्ययनों पर संक्षित वृतान्त

वर्ष 2016–17 के दौरान अनुसंधान अध्ययनों के द्वारा निम्न क्षेत्रों को दायरे में लिया गया :–

बागवानी मूल्य श्रृंखला में किसानों की सहभागिता के द्वारा आय वृद्धिः

उच्च मूल्य कृषि वस्तु श्रृंखला में किसानों की भागीदारी सीमित करने के अंतराल का विश्लेषण करने के लिये नाबार्ड के समर्थन से संस्थान द्वारा एक अध्ययन किया गया और इन श्रृंखलाओं में किसानों के एकीकरण को बढ़ाने के लिये उपाय सुझाये गये।

इस अध्ययन में जयपुर जिले के चार ब्लॉकों के 80 सब्जी उत्पादकों और 20 बाजार पदाधिकारियों अर्थात् कुल मिलाकर 100 हितधारकों का नमूना अध्ययन के लिया गया।

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि किसान सूचनाओं के लिए तकनीकी के प्रयोग के स्थान पर पारम्परिक साधनों पर ज्यादा निर्भर हैं और तकनीकी का सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अध्ययन में यह पाया गया कि किसान क्षमता से कम उपज प्राप्त कर रहे हैं।

यह सिफारिश की गयी थी कि टेलीफोन और स्मार्ट फोन के माध्यम से तकनीक का प्रयोग किसानों को जानकारी के कुशल वितरण के लिये किया जा सकता है। सार्वजनिक और निजी संस्थाओं की भागीदारी के साथ एक व्यापक विस्तार योजना तैयार की जानी चाहिये ताकि किसान पूर्ण उपज प्राप्त कर सकें।

यह सुझाव दिया गया था कि एक संगठित एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से आश्वासित बाजार देने वाले और प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य सृजन करने से किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

किसानों का बाजार के साथ एकीकरण बढ़ाने के लिये मखाना मूल्य श्रृंखला

किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिये मखाना जैसी फसलों के महत्त्व पर विचार करते हुये, नियाम ने बीएयू, साबौर के साथ मिलकर मखाना मूल्य श्रृंखला में अंतराल का विश्लेषण करने, प्रशिक्षण की आवश्यकता के आयामों का मानचित्रण और राज्य के लिये नीतिगत दिशानिर्देश उपलब्ध कराये।

सूचनायें मुख्य रूप से बिहार के विभिन्न जिलों जिनमें मखाना उत्पादन सबसे ज्यादा होता है जैसे पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया से एकत्र की गयी जिसमें 336 मखाना किसानो, 38 मखाना उत्पादकों एवं 24 बिचोलियों को भी सम्मिलित किया गया।

यह पाया गया कि अधिकतर मखाना खेती किसान गरीब संसाधान आधार वाले पिछड़ी जाति–वर्ग के थे। उनमें से अधिकतर मौखिक समझौतों पर पट्टे की भूमि पर मखाने की खेती करते थे। इससे इन्हें औपचारिक उधार लेन–देन में एवं अन्य सरकारी लाभों को प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। अध्ययन में यह भी पाया गया कि विपणन व्यवस्था सुचारू नहीं थी और भाव निर्धारित करने की पद्धति वैज्ञानिक नहीं थी। मखाना उत्पादों का मानकीकरण एफ.एस.एस.ए.आई., ऐगमार्क आदि प्राधिकरणों के मानकों के आधार पर नहीं था और मखानें का प्रसंस्करण परम्परागत पद्धतियों पर आधारित था जबकि इसमें तकनीकी प्रसंस्करण की काफी संभावनायें हैं। विभिन्न मखाना उत्पादों का मानकीकरण करने की आवश्यकता है जिससे मखाना और मखाना आधारित उत्पादों की ब्रॉण्ड कीमत बढ़ सके और साथ ही साथ विकसित प्रौद्योगिकी को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। प्रौद्योगिकी अभिग्रह और उच्च उपज किस्म के बारे में भी किसानों को शिक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गयी।

इसके लिये प्रशिक्षण मोड्यूल विकसित किये गये और इन्हें अध्ययन क्षेत्र में लागू किया जा रहा है।

उत्तर–पूर्व क्षेत्र से बागवानी फसलों के तुलनात्मक निर्यात लाभ का एक विश्लेषण

इस अध्ययन का आयोजन उत्तर–पूर्व क्षेत्र की उन उद्यानिक फसलों को चिन्हित करना था जिनके निर्यात की अधिक संभावनायें हैं।

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों से मुख्य रूप से कुल दस कृषि जिन्सों का विश्लेषण द्वितीय आंकड़ों के आधार पर उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखकर किया गया।

अध्ययन में यह पाया गया कि बागवानी फसलों के विषय में कम सूचनाऐं उपलब्ध है जबकि निर्यात के लिए इनका अतिरिक्त उत्पाद उपलब्ध हैं। नये देशों में अच्छे अवसरों के साथ नीतियों के लिये सूचना की कमी और व्यापार प्रणाली व्यापारियों को नई बाजारों को खोजने में सीमित कर रही है। क्षेत्र में उचित और पर्याप्त बुनियादी ढांचा न होने के कारण इन क्षेत्रों में निर्यात उन्मुख उद्यम शुरू करना मुश्किल हो गया है। उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में कृषि विपणन की पद्धतियां कमजोर व बिखरी हुई पाई गई। बाजार प्रणाली में पारदर्शिता की कमी पायी गयी जिससे निर्यातकों के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई हैं हालांकि अधिकांश राज्यों में अपना एपीएमसी अधिनियम है किन्तु वह भलीभांति से लागू नहीं किये जा रहे हैं।

राज्य सरकारों को प्रसार माध्यमों को मजबूत करना चाहिए ताकि किसानों/उद्यमियों के बीच सरकारी योजनाओं, नवीनतम प्रौद्योगिकयों के बारे में जागरूकता पैदा कर ऐसे फसलें पैदा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे निर्यात को

बढ़ावा मिले और इसके साथ–साथ उच्च उपज प्रजातियों को बढ़ावा देना चाहिए जिनकी विभिन्न देशों में निर्यात मांग हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले क्रियाकलापों को बढ़ाना चाहिए जिससे निर्यातोन्मुखी ईकाइयों का क्षेत्र में विकास हो सके। उद्यमियों को प्रेरित कर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए जिससे क्षेत्र में जन संरचनाओं का निर्माण हो सके। सरकार को ऐसा मजबूत तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे बाजार की सूचनाओं को किसानों तक पहुंचाया जा सके।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बाजार रणनीतियां:

संस्थान ने यह अध्ययन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं आसाम कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से किया ताकि मेघालय त्रिपुरा एवं आसाम राज्यों की वर्तमान बाजार प्रणाली, आधारभूत ढांचा, वो पद्धतियां जिनसे बाजार नियन्त्रित होता हैं का अध्ययन किया और साथ ही साथ उपयुक्त विपणन पद्धतियों का सुझाव दिया ताकि किसानों की मदद की जा सके और उन्हें बाजार के साथ एकीकृत किया जा सके। दिये गये विवरण के अनुसार अध्ययन सिर्फ चिन्हित राज्यों से चुनी हुई कृषि जिन्सों पर ही केन्द्रित था जो कि निम्न हैं :–

क्र.सं.	वर्ग	विचारणीय फसलें		
		मेघालय	आसाम	त्रिपुरा
1.	फल	अनन्नास, संतरा	केला, आसाम नींबू	अनन्नास, केला
2.	सब्जी	आलू और टमाटर	पत्ता गोभी और फूल गोभी	आलू, बैंगन
3.	मसाला	अदरक और हल्दी	मिर्च	अदरक

इस अध्ययन से यह पता चला कि इस क्षेत्र में एक अविकसित कृषि विपणन प्रणाली है। किसानों के उत्पाद की नीलामी के लिये तंत्र उपलब्ध नहीं था। आमतौर पर व्यापार खरीदारों और विक्रेताओं की आपसी सहमति के आधार पर चल रहा था क्यों कि वहां कोई विपणन पद्धति नहीं थी यहां तक कि नियन्त्रित मण्डियों में या तो आधारभूत संरचनायें नहीं थी या बहुत कम थी जो कि खराब होने वाली औद्यानिक फसलों के लिए उपयुक्त नहीं थी। अध्ययन में पाया गया कि चयनित राज्यों में अधिकांश सरकारी नीतियां उत्पादन केंद्रित थी।

राज्यों में विपणन की लेनदेन सुनिश्चित करने और निविदा या नीलामी जैसे वैज्ञानिक मूल्य की खोज प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिये राज्यों में विपणन के विनियमन को लागू करना आवश्यक है। अध्ययन से कृषि विपणन संसाधन जैसे छंटनी, ग्रेडिंग और पैंकिग लाईन, शीत भंडारण, पैकहाउस, राईपनिंग चेम्बर, गोदामों आदि के बेहतर की आवश्यकता है। बाजार के साथ किसानों को एकीकृत करने और उनके उत्पादन के लिये बेहतर मूल्य में मदद करने के लिये मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है। इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत होगी।

3.3 केस स्टडी

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान ज्ञान अंतरण में सुधार लाने के लिए सीसीएस नियाम ने केस स्टडी परिकल्पना को विकसित किया जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों के सीखनें के अनुभवों को बढ़ाया जा सके। सीसीएस नियाम अधिकारियों को केस स्टडी विकसित करने का सीमित अनुभव था इसलिए भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर से विशेषज्ञों को आमन्त्रित कर केस टीचिंग और केस स्टडी अध्ययन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

4. परामर्शदात्री परियोजनायें (2016–17)

संस्थान का एक महत्त्वपूर्ण जनादेश परामर्श है। वर्ष 2016–17 में पूर्ण की गयी परामर्शदात्री परियोजनायें निम्न हैं :–

4.1 सिक्किम के जैविक उत्पाद के लिये विपणन रणनीतियां

सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसको जनवरी 2016 में शत्प्रतिशत जैविक घोषित किया गया है। राज्य में विविध औद्यानिक फसलों के विकास के लिए अपार सम्भावनायें हैं जिससे मूल्यवान फसलों को उगाकर कृषकों को उनकी उत्पाद का कम उत्पादन होने के बावजूद भी अधिक मूल्य दिलाया जा सके। इस अध्ययन के अन्तर्गत एवं मूल्यवान जैविक कृषि उत्पाद को बाजार से जोड़ने के माध्यम सुझाये गये इस अध्ययन में पांच चयनित फसलों, अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, बकव्हीट एवं सिंबेडियम को लेकर एक्शन प्लान बनाया गया ताकि सिक्किम राज्य के उत्पादकों को उच्च कोटि के उपभोक्ता बाजार से जोड़ा जा सके।

मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडी) के संदर्भ में बुनियादी ढांचे और खेती से बाजार तक उत्पादन के निरंतर प्रवाह को विकसित करने के लिये निवेश की आवश्यकता को पूरा किया गया है। इस प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि उपयुक्त पद्धति द्वारा फसल उत्पाद का संग्रहण कर उसे उच्च गुणवत्ता बाजार से जोड़ा जा सकता है। अध्ययन से पता चलता है कि राज्य को उपयुक्त अधिनियम जैसे एपीएलएम अधिनियम, कंपनी अधिनियम या सोसायटी अधिनयम के तहत संगठित विपणन प्रणाली विकसित करनी चाहिये। जैविक मूल्य श्रृंखला और संबंधित खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को नियंत्रित करने में नियामक और शासन मुद्दों का सर्वोच्च महत्त्व है और इसके लिये सिक्किम राज्य को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिये।

4.2 मेघालैम्पः राष्ट्रीय कृषि बाजारों की प्रदर्शन यात्रा

मेघालैम्प, मेघालय के तहत बाजार विकास पहले के एक हिस्से के रूप में, नियाम ने 5–13 नवम्बर, 2017 के दौरान सामुदायिक बाजार के मालिकों और मेघालय के मार्केट लीडर्स के लिये भारत के विभिन्न कृषि बाजारों के लिये विभिन्न मार्केटिंग मॉडल के तहत संचालन का आयोजन किया गया। यात्रा के उद्देश्य जानकारी प्रदान करने और उन्हें बाजार के प्रबंधन के नए तरीके सीखने और देश के दूसरे हिस्सों में पालन किये जाने वाले संबंधित व्यवसायों का निर्माण करने के उद्देश्य से संगठित किया गया।

इस कार्यक्रम के लिये संस्थान को नॉलेज पार्टनर के रूप में चयन किया गया जिसमें संस्थान ने प्रतिभागियों को शिक्षित करने एवं लाभ पहुंचाने के लिए संकाय संशाधन उपलब्ध कराये और उन्हें विपणन के विभिन्न मॉडल के बारे में जानकारी उपलब्ध कर प्रशिक्षित किया। भ्रमण के दौरान अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करने के लिए एक किसान डायरी भी संस्थान द्वारा विकसित की गयी।

4.3 वस्तु उन्मुखी बाजार पर जागरूकता कार्यक्रम

विभिन्न फसलों के उत्पादक एवं किसानों पर ध्यान देने के लिए वस्तु उन्मुख बाजारों पर सीसीएस नियाम द्वारा सुरक्षा और विनियम बोर्ड ऑफ इण्डिया, मुंबई के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य किसानों को शिक्षित करना, फ्यूचर ट्रेडिंग एवं उसके लाभों से अवगत कराना था। सीसीएस नियाम को राजस्थान राज्य में परीक्षण के तौर पर दो कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी दी गई जिसको सफलतापूर्वक पूरा किया गया। (अनुलग्नक–2)

4.4 पंजीयन के बाद भंडारगृहों का निरीक्षण

भंडागृह विकास एवं विनियामक प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश राज्य में चार भंडारगृहों के निरीक्षण का कार्य सौंपा। निरीक्षण की अंतिम रिपोर्ट प्राधिकरण को मार्च, 2017 में प्रस्तुत की गयी।

4.5 वाड्रा (डब्ल्यू.डी.आर.ए.) की भूमिका एवं पराक्राम्य गोदाम रसीद पर जागरूकता कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को शिक्षित करना ताकि डब्ल्यूडीआरए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को समझ कर कृषक अपनी उपज का वैज्ञानिक भंडारण, भौतिक सुरक्षा और उपज का बीमा, प्रतिज्ञा, वित्तपोषण, पराक्रम्य गोदाम रसीद आदि के बारे में शिक्षित होकर लाभ प्राप्त कर सके। संस्थान को राजस्थान में दस कार्यक्रम सौंपे गये थे। संस्थान ने सभी सौंपे गये कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया (अनुलग्नक–3)।

4.6 पंजीकृत भंडारगृहों के भंडारकर्मियों का क्षमता विकास

डब्ल्यूडीआरए ने सीसीएस नियाम को पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का जिम्मा सौंपा जिसके जरिये मान्यता प्राप्त गोदामों के भण्डारकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर को कुल चार कार्यक्रम दिये गये। (अनुलग्नक–4) प्रतिभागियों की मदद करने के लिए उनमें पर्याप्त वैचारिक आधार का विकास किया गया और गोदामों के संचालन और प्रबंधन से संबंधित कई मुद्दों को शामिल किया गया (अनुलग्नक–5)।

5. शैक्षणिक कार्यक्रम

5.1 किसान उत्पादक संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रबंधन पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम–छोटे एवं लघु किसानों की बाजार तक पहुँच बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम

सीसीएस नियाम और बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), लखनऊ ने संयुक्त रूप से नियाम परिसर में किसान उत्पादक संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिये 5 दिसम्बर, 2016 से 1 मार्च, 2017 तक ''सीईओ के लिये एफपीओ मैनेजमैन्ट'' पर त्रैमासिक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का आयोजन किया। एक व्यापक अध्यापन योजना तैयार की गई थी जिसमें सिद्धान्त, निविष्टियाँ, अवधारणाओं का व्यावहारिक अनुप्रयोग, क्षेत्र भ्रमण और नौकरी आवेदन आदि के बारे में सिखाया गया। इन तीन महीने के सर्टिफिकेट कोर्स में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को छोटे और अत्यन्त लघु किसानों को एकत्र करना, संगठनात्मक प्राथमिकता प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, व्यापारिक योजनाओं की तैयारी, व्यापार में जोखिम और अवसरों की पहचान के बारे में प्रशिक्षित किया गया था। इस कार्यक्रम में संवादमूलक सत्र भी शामिल थे, जिसमें पतंजलि, टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज, स्टार्ट अप ओएसिस आदि जैसी कम्पनियों के साथ किसान उत्पादक संगठनों का बाजार के साथ समन्वय बनाने के लिये कंपनियां शामिल थी।

प्रतिभागी सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों से बातचीत करते हुए

5.2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमैन्ट (एग्रीबिजनेस मैनेजमैन्ट)

दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोम इन मैनेजमैन्ट (एग्रीबिजनेस मैनेजमैन्ट) जो कि अखिल भारतीय तकनीकी अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश में कृषि व्यवसाय और खाद्य क्षेत्र में तकनीकी प्रबंधकों का निर्माण करना है। पाठ्यक्रम में 44 कोर पाठ्यक्रम और 4 ऐच्छिक पाठ्यक्रम शामिल हैं जिनमें कुल 118 क्रेडिट लोड शामिल हैं जो दो वर्ष की अवधि में सम्मिलित हैं। कार्यक्रम कृषि–व्यवसाय पाठ्यक्रम जैसे कृषि–इनपुट विपणन, कृषि उत्पादन प्रबंधन, विस्तार प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और ग्रामीण विपणन और विपणन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और रणनीतिक प्रबंधन जैसे कोर प्रबंधन विषयों के मिश्रणों से बना है। छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से अवगत कराने हेतु केस स्टडी और सिद्धान्तों का उपयोग किया जाता है। उद्योग इंटरफेस पीजीडीएम (एबीएम) का एकीकृत भाग है।

संस्थान देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों और प्रमुख कृषि व्यवसाय कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम मॉड्यूल पर भाषण देने के लिये आमंत्रित करता है।

छात्रों को प्रवेश कैट एवं सीमैट के स्कोर्स के साथ अन्य मापदंडों जैसे समूह चर्चा, वैयक्तिक साक्षात्कार, तात्कालिक बोलना एवं निबन्ध लेख के आधार पर दिया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और कश्मीरी प्रवासी उम्मीदवारों के लिये आरक्षण भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार लागू है। बैच 2016–18 के छात्र–छात्रायें संस्थान की भौगोलिक स्थिति, विविधता का भरपुर उपयोग करते है। बैच में कुल 46 विद्यार्थी है जो कि कृषि एवं उससे संबद्ध 8 विभिन्न संकायों में स्नातक हैं, जिनमें से 23 पुरूष और 23 महिला छात्र हैं। पीजीडीएम (एबीएम) 2016–18 ने अपनी कृषि व्यापार, खाद्य, परामर्श, बैंकिग और अन्य विकासशील संगठनों में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण पूर्ण किया है। कम्पनियों के नाम अनुलग्नक–6 में दिये हुए हैं।

पीजीडीएम (एबीएम) के विद्यार्थियों का औद्योगिक भ्रमण

कम्पनियों से संवाद करने के लिये औद्योगिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है जो कि जीविका के अवसरों को पहचानने में मदद करता है। 2015–17 बैच के अंतिम वर्ष के छात्रों ने सितम्बर और अक्टूबर 2016 हैदराबाद, बैंगलौर, मुम्बई, दिल्ली, नोएडा और कोलकाता में स्थित कृषि व्यापारिक कम्पनियों में भ्रमण के दौरान मुलाकात की। इन यात्राओं का उद्देश्य नई कंपनियों से संपर्क करना और उन्हें कार्यक्रम की अनूठी विशेषताओं/शक्तियों के बारे में अवगत कराना था और अंतिम नियुक्तियों और ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के लिये अवसर तलाशने थे। नियिमत शैक्षिक पाठ्यक्रमों के अलावा सम्मिलित छात्र प्रमुख प्रबंधन संस्थानों जैसे आईआईएमएस, आईआईटी, विश्वविद्यालयों और अन्य प्रबन्धन विद्यालयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया था। छात्रों के सहभागिता एवं उपलब्धियां अनुलग्नक–7 में दी गयी हैं।

फाइनल प्लेसमेन्ट

पीजीडीएम (एबीएम) कार्यक्रम उद्योग द्वारा स्वीकार किया गया है। संस्थान ने बैच 2015–17 के लिये 100 प्रतिशत प्लेसमेन्ट प्राप्त किया है। कुल मिलाकर 21 कम्पनियों ने छात्रों को नौकरी के लिये प्रस्ताव दिये थे उनमें से 8 कम्पनियों ने कैम्पस में पहली बार आईं थीं। उच्चतम सीटीसी रू. 9.5 लाख प्रतिवर्ष और औसत रू. 6.18 लाख प्रतिवर्ष का प्रस्ताव रखा गया था। प्रबंधन स्तर की स्थिति के लिये बैंकिग और सूक्ष्म वित्त, कृषि–इनपुट, बीमा, एफएमसीजी, भंडारण और लॉजिस्टिक्स और कमोडिटी सैक्टर नियोक्ता थे।

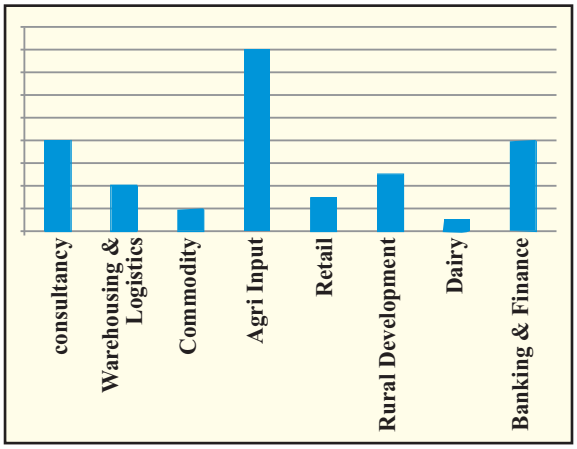

हमारे नियोक्ता

6. प्रशासनिक एवं लेखा मामले

खाते एवं लेखा परीक्षा 2015–17

संस्थान एक अलाभकारी संगठन है जो कि भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वित्त पोषित है। निम्नलिखित दिये गये विवरण के अनुसार संस्थान ने गत छः वर्षों में (वित्तीय वर्ष 2016–17 शामिल) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से अनुदान सहायता प्राप्त की थी :–

(राशि/रू. लाख में)

वर्ष	नियाम	सीएसएस (आरजीएस)	एमआईएस	योग
2011.12	500.00	कुछ नहीं	250.00	750.00
2012.13	500.00	68.62	कुछ नहीं	568.62
2013.14	550.00	76.70	कुछ नहीं	626.70
2014.15	507.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	507.00
2015.16	367.96	कुछ नहीं	कुछ नहीं	367.96
2016.17	700.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	700.00

संस्थान ने सीएसएस (आरजीएस) और एमआईएस योजना के तहत वर्ष 2016–17 के कोई भी अनुदान नहीं प्राप्त किया था। संस्थान ने वर्ष 2016–17 के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से निम्नलिखित अनुदान प्राप्त किया :–

(राशि/रू. लाख में)

क्रं.सं.	विवरण	सामान्य	टीएसपी	एससीएसपी	योग
1.	अनुदान (सामान्य) अव्ययित गत वर्ष	शून्य	12.82	शून्य	12.82
2.	अनुदान (सामान्य) जारी	483.00	48.00	99.00	630.00
3.	अनुदान (सामान्य) उपयोग	483.00	51.43	96.95	260.62
4.	अनुदान (सामान्य) अव्ययित	शून्य	09.39	02.05	11.44
5.	अनुदान (एनईएस) अव्ययित गत वर्ष	शून्य	21.86	शून्य	21.86
6.	अनुदान (एनईएस) जारी	53.00	08.00	09.00	70.00
7.	अनुदान (एनईएस) उपयोग	07.10	0.66	01.02	8.78

8.	अनुदान (एनईएस) अव्ययित	45.90	29.21	7.98	83.09
9.	अनुदान जारी किया गया	536.00	56.00	108.00	700.00
10.	अनुदान उपयोग	490.10	52.09	97.97	640.16
11.	अनुदान अव्ययित	45.90	38.60	10.03	94.53

वर्ष 2016–17 के दौरान अनुदान सहायता के रूप में रू. 700.00 लाख प्राप्त हुये थे और वित्तीय प्रमुख मद और उपघटक टीएसपी के तहत वर्ष 2015–16 से रू. 34.68 लाख अव्ययित शेष के रूप में आगे स्थानान्तरित किये गये थे जिनका मुख्य मद 2435 सामान्य टीएसपी और मुख्य मद 2552 (एनईएस) एवं उपघटक टीएसपी।

दिनांक 31.03.2017 को अनुदान सहायता का अव्ययित शेष रू. 94.53 लाख था (एनईएस 83.09 लाख एवं सामान्य टीएसपी एवं एससीएसपी घटक रू. 11.44 लाख)। प्रशिक्षण कार्यक्रम को उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा।

व्यय (आईएसएएम) के तहत निर्दिष्ट प्रशासन, रखरखाव, प्रशिक्षण और अन्य उद्देश्यों के संचालन के लिये अनुदान सहायता से बाहर किया गया था।

कृषि एवं किसान मंत्रालय से प्राप्त अनुदान को छोड़कर भुगतान आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और परियोजनाऐं प्रदेश सरकार, विपणन मंडल और अन्य संगठनों से लिये गये थे।

- वर्ष 2016–17 के दौरान परियोजनाओं/परामर्शदात्री सेवाओं से प्राप्ति रू. 147.79 लाख थी जबकि उपरोक्त पर व्यय रू.36.90 लाख था।
- पीजीडीएबीम के छात्रों की फीस प्रति वर्ष द्वितीय वर्ष रू. 3.05 लाख (अमानत राशि), और रू. 3.00 लाख प्रति वर्ष प्रति छात्र है। वर्ष 2016–17 के दौरान 96 छात्र थे। पीजीडीएबीए कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण व्यय फीस से निकाला जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में पीजीडीएबीएम में कुल अर्जित किया गया राजस्व रू. 359.31 लाख था और कुल व्यय रू. 129.21 लाख था।

31.03.2017 को कॉर्पस फण्ड का शेष रू. 1592.39 लाख था जोकि अनुदान सहायता के अलावा अन्य प्राप्तियों से जमा किया गया था।

संस्थान महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा परिचालित निर्धारित प्रारूप में खातों की देखरेख करता है।

संस्थान के खाते की लेखा परीक्षा कार्यालय, प्रमुख निदेशक, लेखा (केन्द्रीय, शाखा कार्यालय, जयपुर द्वारा की जाती है। प्रमुख निदेशक, लेखा (केन्द्रीय) ने संस्थान के खातों की लेखा परीक्षा 31.03.2017 तक कर दी है। संस्थान के वर्ष 2015–16 तक के वार्षिक लेखा खातों को लेखा रिपोर्ट के साथ संसद के दोनों सदनों में रखा जा चुका है।

कार्यकारी समिति ने मैसर्स जी. दत्ता एवं कम्पनी को वर्ष 2016–17 के लिये स्वीकृत कर दिया है। मैसर्स जी. दत्ता एण्ड कम्पनी ने वर्ष 2016–17 के खातों की लेखा परीक्षा कर उन्हें प्रमाणित कर दिया है और वार्षिक खातों के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रमुख निदेशक, लेखा (केन्द्रीय) जयपुर को पहले ही भेजी जा चुकी हैं।

वित्तीय समीक्षाः

सीसीएस नियाम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के दौरान कुल अनुदान सहायता रू. 700/– लाख थी और रू. 640.16 का उपयोग किया गया था। रू. 94.53 लाख एनईएस क्षेत्र 83.09 लाख और सामान्य 11.44 लाख के तहत अनुदान सहायता का अनुरूप शेष था। वर्ष 2016–17 में संस्थान की वित्तीय स्थिति निम्न है:

(रू. लाख में)

खातों के शीर्षक	अनुमानित बजट	वास्तविक
राजस्व व्यय	801.31	715.25*
पूंजीगत व्यय	–	–
कुल व्यय	801.31	715.25
कुल योग	801.31	715.25
प्राप्त राजस्व	560.00	495.00
जारी अनुदान सहायता	700.00	700.00
कारपस फंड को स्थानान्तरण*	255.06	226.44

बजट एस्टीमेट/संशोधित एस्टीमेट के अनुसार वर्ष 2016–17 में रू. 700.00 लाख की अनुदान सहायता जारी की गयी थी। वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्न है:

1.	नियाम के कर्मचारियों का वेतन	–	302.49
2.	प्रशिक्षण एवं गोष्ठी व्यय	–	99.45
3.	भविष्य निधि एवं परामर्शदाता खर्च	–	36.96
4.	अन्य प्रशासनिक व्यय	–	276.35
			715.25 लाख

* इस वर्ष में रूपये 206.79 राजस्व खर्चों के लिए स्वयं अर्जित धन राशि मद से लिए गए।

अनुलग्नक

अनुलग्नक–1

वर्ष 2016–17 के दौरान नियाम द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रं. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	दिनांक एवं अवधि	स्थान	विवरण	संयोजक
1.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर गोलमेज सम्मेलन	30	29.04.2016	जयपुर	सम्मेलन	डॉ. हेमा यादव
2.	कृषि व्यापार शिक्षा एवं अवसर के बारे में जागरूकता	50	01.09.2016	गंगटोक	छात्र	डॉ. हेमा यादव
3.	सब्जियों एवं फलों पर आने वाले रूझान पर अर्न्तराष्ट्रीय कार्यक्रम	27	16–30 दिसम्बर, 2016	जयपुर	अर्न्तराष्ट्रीय	डॉ. हेमा यादव
4.	कृषि भंडारण एवं वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियों पर क्षमता विकास कार्यक्रम	20	6–8 जून 2016	तिरूपति	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र
5.	कृषि भंडारण एवं वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियों पर क्षमता विकास कार्यक्रम	20	10–12 जून 2016	विजयवाड़ा	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र
6.	कृषि भंडारण एवं वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियों पर क्षमता विकास कार्यक्रम	20	14–16 जून 2016	विशाखापट्टनम	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र
7.	किसानों का बाजार के साथ जोड़ने के लिये मखाना मूल्य श्रृंखला पर कार्यशाला	175	26.10.2016	पुर्णिया, बिहार	कार्यशाला	डॉ. शैलेन्द्र
8.	मेघालय और त्रिपुरा में बागवानी फसलों के विपणन रणनीति विकसित करने पर हितधारकों की कार्यशाला	51	18.11.2016	उमियम, मेघालय	कार्यशाला	डॉ. शैलेन्द्र
9.	लघु हितधारकों के लिये मूल्य श्रृंखला विकास एवं बाजार संबंध पर कार्यक्रम	20	21–24 मार्च, 2017	नियाम, जयपुर	प्रशिक्षण	डॉ. शैलेन्द्र
10.	किसान व्यापार स्कूल के तहत किसान जागरूकता कार्यक्रम	25	30.03.17 से 01.04.17	विजयनगरम	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. शैलेन्द्र
11.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	70	27.11.2016	कानपुर नगर, यूपी	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस.आर. सिंह
12.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	52	18.12.2016	फतेहपुर, यूपी	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस.आर. सिंह

13.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	62	02.12.2016	बरहामपुर, उड़ीसा	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस.आर. सिंह
14.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	60	09.12.2016	पूर्वी इम्फाल मणिपुर	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस.आर. सिंह
15.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	60	09.12.2016	पूर्वी इम्फाल, मणिपुर	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस.आर. सिंह
16.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	52	20.12.2016	कन्नौज, यूपी	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस.आर. सिंह
17.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	53	29.12.2016	गन्जम, उड़ीसा	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
18.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	55	11.01.2017	कन्नौज, यूपी	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
19.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	57	21.01.2017	कन्नौज, यूपी	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
20.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	100	31.01.2017	लखनऊ, यूपी	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
21.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	50	08.02.2017	कन्नौज, यूपी	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
22.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	51	08.02.2017	भंजनगर, उड़ीसा	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
23.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	52	23.02.2017	बिलारी, जिला मुरादाबाद	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
24.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	52	05.03.2017 प्रथम बैच	बिधनूं, कानपुर	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह

25.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	51	05.03.2017 द्वितीय बैच	बिधनूं, कानपुर	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
26.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	50	11.03.2017	गंजम, उड़िसा	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
27.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर किसान जागरूकता कार्यक्रम	53	23.03.2017	भगतगढ़, कन्नौज	किसान जागरूकता कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
28.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	27	09–11 दिसम्बर, 2016	कानपुर नगर, यूपी	प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
29.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	29	09–11 दिसम्बर, 2016	कानपुर नगर, यूपी	प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
30.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	32	21–23 दिसम्बर, 2016	कानपुर नगर, यूपी	प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
31.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	28	31.01.2017 से 01.02.2017	बरहामपुर, उड़ीसा	प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
32.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	25	27.02.2017 से 01.03.2017	बरहामपुर, उड़ीसा	प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
33.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	38	08.03.2017 से 10.03.2017	कानपुर नगर	प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
34.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	30	15.03.2017 से 17.03.2017	बरहामपुर, उड़ीसा	प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
35.	सुगंधित फसलों की खेती, उत्पादन और विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	27	16.03.2017 से 28.03.2017	भगतगढ़, कन्नौज	प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. एस. आर. सिंह
36.	किसान उत्पादक संगठन को शक्तिशाली बनाना	45	17–19 अगस्त 2016	अगरतला, त्रिपुरा	प्रशिक्षण	डॉ. शुचि माथुर
37.	किसान उत्पादक संगठन की व्यापार योजना	15	08.11.2016	सीसीएस नियाम	प्रशिक्षण	डॉ. शुचि माथुर

38.	किसान उत्पादक संगठन की व्यापार योजना का मूल्यांकन	15	09.11.2017	सीसीएस नियाम	प्रशिक्षण	डॉ. शुचि माथुर
39.	किसान उत्पादक संगठन को शक्तिशाली बनाना	30	19–21 दिसम्बर, 2016	सबौर (भागलपुर), बिहार	प्रशिक्षण	डॉ. शुचि माथुर
40.	कृषि विपणन पर पशिक्षण कार्यक्रम	30	31.01.2017 से 02.02.2017	सीसीएस नियाम	प्रशिक्षण	डॉ. शुचि माथुर
41.	स्वच्छ भारत अभियान		14–16 फरवरी, 2017	सीसीएस नियाम	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल
42.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	25	17.11.2016	आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल
43.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	24	18.11.2016	उमियाम, मेघालय	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल
44.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	30	21.11.2016	मेहन्दीपथार, मेघालय	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल
45.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	37	22.11.2016	काजलगॉव, आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल
46.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	34	23.11.2016	उत्तरी सलमारा, आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल
47.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	38	24.11.2016	दीफू, आसाम	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल
48.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	27	19.12.2016	सागर महल, त्रिपुरा	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल
49.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	28	20.12.2016	अगरतला, त्रिपुरा	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल
50.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	29	21.12.2016	खोवई, त्रिपुरा	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल
51.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	27	22.12.2016	कुमारघाट, त्रिपुरा	प्रशिक्षण	डॉ. रमेश मित्तल

अनुलग्नक–2

जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण

क्रं. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	दिनांक	स्थल	प्रतिभागियों की संख्या
1.	वस्तु उन्मुखी बाजार पर जागरूकता कार्यक्रम	20 मार्च, 2017	केवीके–नौगाँव, अलवर जिला	51
2.	वस्तु उन्मुखी बाजार पर जागरूकता कार्यक्रम	30 मार्च, 2017	केवीके–कोटपूतली, राजस्थान	54

अनुलग्नक–3

वर्ष 2016–17 के दौरान डब्ल्यू.डी.आर.ए. के लिये आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण

क्रं. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	दिनांक	स्थल	प्रतिभागियों की संख्या
1.	पराक्रम्य भंडारगृह रसीदों एवं डब्ल्यू.डी.आर.ए. की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम	23 अगस्त 2016	प्रतापगढ़	55
2.	पराक्रम्य भंडारगृह रसीदों एवं डब्ल्यू.डी.आर.ए. की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम	25 अक्टूबर 2016	कुम्हेर, भरतपुर	51
3.	पराक्रम्य भंडारगृह रसीदों एवं डब्ल्यू.डी.आर.ए की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम	8 फरवरी 2017	केवीके, आर.ए.यू., बीकानेर	56
4.	पराक्रम्य भंडारगृह रसीदों एवं डब्ल्यू.डी.आर.ए. की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम	11 फरवरी 2017	पंचायत भवन, नोहर जिला–हनुमानगढ़	55
5.	पराक्रम्य भंडारगृह रसीदों एवं डब्ल्यू.डी.आर.ए. की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम	22 फरवरी 2017	केवीके–सरदारशहर, जिला चुरू	55
6.	पराक्रम्य भंडारगृह रसीदों एवं डब्ल्यू.डी.आर.ए. की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम	20 मार्च, 2017	केवीके–नौगांव, जिला अलवर	51
7.	पराक्रम्य भंडारगृह रसीदों एवं डब्ल्यू.डी.आर.ए. की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम	23 मार्च, 2017	केवीके–भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा	50
8.	पराक्रम्य भंडारगृह रसीदों एवं डब्ल्यू.डी.आर.ए. की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम	25 मार्च, 2017	एएसके, सुनारी, लाडनूँ, जिला नागौर	65
9.	पराक्रम्य भंडारगृह रसीदों एवं डब्ल्यू.डी.आर.ए. की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम	30 मार्च 2017	केवीके–कोटपूतली	54
10.	पराक्रम्य भंडारगृह रसीदों एवं डब्ल्यू.डी.आर.ए. की भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम	31 मार्च, 2017	एएसके, पुनाना आमेर, जिला–जयपुर	60

अनुलग्नक–4

वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम

क्रं. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	दिनांक	स्थल	प्रतिभागियों की संख्या
1	डब्ल्यू.डी.आर.ए. के साथ पंजीकृत भंडारगृह कर्मी की क्षमता निर्माण	19–23 दिसम्बर 2016	गांधीनगर, गुजरात	41
2	डब्ल्यू.डी.आर.ए. के साथ पंजीकृत भंडारगृह कर्मी की क्षमता निर्माण	16 से 20 जनवरी 2017	होशंगाबाद, मध्यप्रदेश	30
3	डब्ल्यू.डी.आर.ए. के साथ पंजीकृत भंडारगृह कर्मी की क्षमता निर्माण	6 से 10 फरवरी 2017	बीकानेर–राजस्थान	31
4	डब्ल्यू.डी.आर.ए. के साथ पंजीकृत भंडारगृह कर्मी की क्षमता निर्माण	27 फरवरी से 3 मार्च 2017	विदिशा– मध्यप्रदेश	30

अनुलग्नक–5

पंजीकृत भंडारगृहों के कर्मियों की क्षमता विकास के कार्यक्रम के दौरान शामिल विषय

1. क्षेत्र का परिचयः भंडारगृह और किसानों को इसके लाभ
2. भंडारगृह और सूची प्रबंधन
3. गुणवत्ता आश्वासन– कीट नियंत्रण और कीटाणुशोधन
4. भंडार प्रणालियों की संहिता
5. भंडारण के दौरान नमी, तापमान और आर्द्रता
6. बैग और थोक भंडारण के लिये नमूना कार्य
7. भंडार गृह में माल का ढेर लगाना और भंडार खातों की देख–रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था करना
8. कृषि उत्पादों के वर्गीकरण एवं मानक
9. भंडारगृहों, भंडारित माल एवं कर्त्तव्यपरायणता का बीमा
10. कृषि उत्पाद एवं खाद्य सुरक्षा के लिये वैधानिक संरचना
11. पराक्रम्य भंडागृह रसीद एवं गिरवी वित्त
12. भावी सौदे एवं स्थानीय बाजार– भंडारगृहों की भूमिका
13. भंडारण (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2007 और भंडारगृहों का प्रमाणीकरण
14. वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधनीय भंडारगृह का भ्रमण
15. परीक्षा एवं प्रतिपुष्टि

अनुलग्नक–6

ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण के लिये कम्पनियों के नाम

ए–आईडिया	ए.एस.सी.आई.
बी.आर.एल.पी.एस.	डी.ओ.डब्ल्यू.
ग्रीनटैक	महिन्द्रा समृद्धि
मैघमणी	एन.सी.डी.ई.एक्स.
एन.एफ.आई.एन.	एस.एम.एल.
टाटा रैलिस	टी.सी.एस.
टैक्नोसर्व	वाडीलाल
यस बैंक	

अनुलग्नक–7

वर्ष 2016–17 के दौरान छात्रों की भागीदारी एवं उपलब्धियां

क्र.सं.	संस्थान	बी–फैस्ट	प्रतियोगितायें	स्थान
1.	एन.ए.ए.आर.एम, हैदराबाद	संकल्प	पोस्टर बनाना	प्रथम
2.	आई.आई.एम., रांची	ऐगोन 2.0	नमूना (लेख लिखना)	प्रथम
3.	आई.आई.एम., रांची	ऐगोन 2.0	इगनिश (लेख लिखना)	प्रथम
4.	मैनेज, हैदराबाद	कृषि चाणक्य	विषय अध्ययन	द्वितीय
5.	एस.आई.बी.एम., पुणे	ट्रिप हिप्पी कैम्पस कनैक्ट	फोटोग्राफी	द्वितीय
6.	आई.एम.आई., नई दिल्ली	क्रित्वा 16	विषय अध्ययन	द्वितीय
7.	ओपन हाउस प्रकाशन	व्यक्त करने के लिये लिखना	लेख लिखना	द्वितीय
8.	एस.सी.एम.एच.आर.डी. पुणे	विपणन क्लब, एस.सी.एम.एच.आर.डी.	लेख लिखना	द्वितीय
9.	जयपुरिया प्रबंधन संस्थान, जयपुर	5 वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता	खो–खो	द्वितीय
10.	मैनेज, हैदराबाद	कृषि चाणक्य	संसदीय वाद–विवाद	द्वितीय
11.	मैनेज, हैदराबाद	कृषि चाणक्य	संसदीय वाद–विवाद	फाईनैलिस्ट
12.	एन.ए.ए.आर.एम., हैदराबाद	संकल्प	विषय अध्ययन	फाईनैलिस्ट
13.	एन.ए.ए.आर.एम., हैदराबाद	संकल्प	विषय अध्ययन	फाईनैलिस्ट
14.	आई.आई.टी., कानपुर	प्रबंधन	विषय अध्ययन	फाईनैलिस्ट
15.	आई.आई.टी., कानपुर	प्रबंधन	विषय अध्ययन	फाईनैलिस्ट
16.	आई.आई.टी., कानपुर	प्रबंधन	विषय अध्ययन	फाईनैलिस्ट
17.	आई.आई.टी., कानपुर	प्रबंधन	विषय अध्ययन	फाईनैलिस्ट
18.	आई.आई.एम. इन्दौर, मुम्बई	आगम या प्रवेश	बी–प्लान	फाईनैलिस्ट
19.	आई.आई.एम., शिलौंग	ओपेरा	लेख लिखना	वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित
20.	नर्सी मौंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान	पैरिसपिकाज	लेख लिखना	ब्लॉग साईट के एनएमआईएमएस में प्रकाशित
21.	एन.एम.आई.एम.एस., बैंगलौर	नोवीसिस	लेख लिखना	वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित
22.	दिल्ली अर्थशास्त्र विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय	विश्व व्यापार	लेख लिखना	पत्रिका में प्रकाशित (सितम्बर, 2016)

वार्षिक प्रतिवेदन
2016.17

अनुलग्नक–8

जी.दत्ता एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

शाखा कार्यालयः जी–26, हर्ष पथ, श्याम नगर, जयपुर–302019
दूरभाषः 0141–2294623, 9829069293

अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

सेवामें,
सदस्यगण,
चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान,
जयपुर– 302033

हमने चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर का दिनांक 31 मार्च, 2017 का संलग्न स्थिति विवरण एवं इसी दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित संलग्न आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का अंकेक्षण किया एवं हमारा प्रतिवेदन है किः

हमने हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण जो हमारे अंकेक्षण हेतु अनिवार्य थे, प्राप्त कर लिये हैं। संस्था समुचित लेखा पुस्तकों का संधारण करती है तथा हमारे प्रतिवेदन में समाहित स्थिति विवरण आय–व्यय लेखा एवं प्राप्ति भुगतान लेखा इनसे मिलान रखते हैं।

इन वित्तीय लेखों का दायित्व संस्था प्रबन्धकों का है। हमारे दायित्व इन वित्तीय लेखों पर हमोर अंकेक्षण के आधार पर राय अभिव्यक्त करना है।

हम, हमारा अंकेक्षण भारत में सामान्यतया स्वीकार्य अंकेक्षण मापदण्डों के अनुसार करते हैं। इन मापदण्डों की आवश्यकता है कि हम अंकेक्षण को इस प्रकार से संचारित व पूर्ण करें जिससे यह आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरणों से मुक्त हैं। वित्तीय विवरणों में राशियों व प्रकटनों के समर्थन में साक्ष्य, नमूना आधार पर परीक्षण, अंकेक्षण में सम्मिलित होता है। प्रयुक्त लेखांकन नीतियों एवं प्रबन्धन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण आकलन एवं समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी अंकेक्षण में सन्निहित है। हम विश्वास करते है कि हमारा अंकेक्षण हमारी राय को उचित आधार प्रदान करता है।

लेखा टिप्पणियों को सम्मिलित करते हुए हमारी राय में एवं सर्वोत्तम तथा विश्वास के अनुसार उक्त लेखे सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

1. संस्था की स्थिति के लिए 31 मार्च, 2017 का स्थिति विवरण।
2. 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का संस्थान का आय–व्यय लेखा जो आय का व्यय पर आधिक्य दर्शाता है।
3. प्राप्ति एवं भुगतान के 31 मार्च, 2017 का संस्था का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा।

कृते जी. दत्ता एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(हस्ताक्षरित)
(गोपाल दत्ता)
भागीदार
एम. नं. 071312
एफ.आर.एन. नं.: 002136सी

स्थानः जयपुर
दिनांकः 29.06.2017

चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान

(भारत सरकार का संगठन)

कोटा रोड़, बम्बाला, सांगानेर के पास, जयपुर– 302033

जी.एफ.आर. 19–ए

31.03.2017 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र

क्रम सं.	पत्र संख्या एवं दिनांक	डी.डी./आर.टी.जी.एस. की दिनांक	राशि रूपयों में
(i)	सं.जी.20015/7/2016–एम।। दिनांक 17.05.2016	23.05.2016	82,00,000.00
(ii)	सं.जी.20015/7/2016–एम।। दिनांक 16.09.2016	27.09.2016	2,01,00,000.00
(iii)	सं.जी.20015/7/2016–एम।। दिनांक 21.11.2016	28.11.2016	2,00,00,000.00
		योग	**4,83,00,000.00**

प्रमाणित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को वर्ष 2016–2017 में अनुदान राशि सामान्य श्रेणी राज्यों के तहत रूपये **4,83,00,000.00** प्राप्त हुए जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/विभाग द्वारा मार्जिन में दिये गये पत्र संख्या के अनुसार अनुमोदित किये गये एवं गत वर्ष के अव्ययित शेष अनुदान राशि रूपये शून्य में से राशि रूपये **4,83,00,000.00** राजस्व व्यय हेतु जिसके लिये यह राशि स्वीकृत की गई थी, उपयोग की गई एवं शेष अनुदान राशि शून्य वर्ष के अन्त में अव्ययित रही।

प्रमाणित किया जाता है कि जिन शर्तों पर अनुदान राशि स्वीकृत की गई है उनकी पूर्ति कर ली गयी है/की जा रही है तथा मैं संतुष्ट हूँ।

(हस्ताक्षरित)

महानिदेशक

राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर

स्थान : जयपुर

दिनांकः 29.06.2017

चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान

(भारत सरकार का संगठन)

कोटा रोड़, बम्बाला, सांगानेर के पास, जयपुर– 302033

जी.एफ.आर. 19–ए

31.03.2017 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र

क्रम सं.	पत्र संख्या एवं दिनांक	डी.डी./आर.टी.जी.एस. की दिनांक	राशि रूपयों में
(i)	सं. जी.20015/7/2016–एम।। दिनांक 17.05.2016	21.05.2016	10,00,000.00
(ii)	सं. जी.20015/7/2016–एम।। दिनांक 16.09.2016	27.09.2016	39,00,000.00
(iii)	सं. जी.20015/7/2016–एम।। दिनांक 20.03.2016	24.03.2017	50,00,000.00
		योग	**99,00,000.00**

प्रमाणित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर जो कि कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्जिन में दिये गये पत्र संख्या वर्ष 2016–17 में अनुदान राशि (सामान्य) उत्तर पूर्व राज्यों के अलावा अनुसूचित जाति की विशेष श्रेणी के तहत रूपये **99,00,000.00** जो कि सामान्य राज्यों के श्रेणी के तहत विशेष योजना घटकों में अनुसूचित जातियों के लिये अनुमोदित किये गये एवं गत वर्ष के अव्ययित शेष अनुदान राशि रूपये शून्य में से राशि रूपये **96,94,642.00** राजस्व व्यय हेतु जिसके लिये यह राशि स्वीकृत की गई थी, उपयोग की गई एवं शेष अनुदान राशि रूपये 2,05,358.00 वर्ष के अन्त में अव्ययित रही।

प्रमाणित किया जाता है कि जिन शर्तों पर अनुदान राशि स्वीकृत की गई है उनकी पूर्ति कर ली गयी है/की जा रही है तथा मैं संतुष्ट हूँ।

(हस्ताक्षरित)

महानिदेशक

राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर

स्थान : जयपुर

दिनांकः 29.06.2017

चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान

(भारत सरकार का संगठन)

कोटा रोड़, बम्बाला, सांगानेर के पास, जयपुर– 302033

जी.एफ.आर. 19–ए

31.03.2017 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र

क्रम सं.	पत्र संख्या एवं दिनांक	डी.डी./आर.टी.जी.एस. की दिनांक	राशि रूपयों में
(i)	शेष राशि दिनांक 01.04.2016 तक	01.04.2015	12,81,988.00
(ii)	सं. जी.20015/7/2016–एम।। दिनांक 17.05.2016	21.05.2016	8,00,000.00
(iii)	सं. जी.20015/7/2016–एम।। दिनांक 16.09.2016	27.09.2016	20,00,000.00
(iv)	सं. जी.20015/7/2016–एम।। दिनांक 20.03.2017	24.03.2017	20,00,000.00
		योग	**60,81,988.00**

प्रमाणित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर जो कि कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्जिन में दिये गये पत्र संख्या में वर्ष 2016–17 अनुदान राशि (सामान्य) उत्तर पूर्व राज्यों के अलावा अनुसूचित जनजाति की विशेष श्रेणी के तहत रूपये **48,00,000.00** जो कि सामान्य राज्यों के श्रेणी के तहत विशेष योजना घटकों में अनुसूचित जन जातियों के लिये अनुमोदित किये गये एवं गत वर्ष के अव्ययित शेष अनुदान राशि रूपये 12,81,988.00 में से राशि रूपये **51,42,734.00** राजस्व व्यय हेतु जिसके लिये यह राशि स्वीकृत की गई थी, उपयोग की गई एवं शेष अनुदान राशि रूपये 9,39,254.00 वर्ष के अन्त में अव्ययित रही।

प्रमाणित किया जाता है कि जिन शर्तों पर अनुदान राशि स्वीकृत की गई है उनकी पूर्ति कर ली गयी है/की जा रही है तथा मैं संतुष्ट हूँ।

(हस्ताक्षरित)

महानिदेशक

राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर

स्थान : जयपुर

दिनांकः 29.06.2017

चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान
(भारत सरकार का संगठन)
कोटा रोड़, बम्बाला, सांगानेर के पास, जयपुर– 302033

जी.एफ.आर. 19–ए

31.03.2017 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र

क्रम सं.	पत्र संख्या एवं दिनांक	डी.डी./आर.टी.जी.एस. की दिनांक	राशि रूपयों में
(i)	सं. जी.20015/7/2016–एम।। दिनांक 26.09.2016	30.09.2016	53,00,000.00
		योग	**53,00,000.00**

प्रमाणित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर जो कि कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्जिन में दिये गये पत्र संख्या वर्ष 2016–17 में अनुदान राशि रूपये **53,00,000.00** जो कि उत्तर पूर्व राज्यों (सामान्य) के श्रेणी के लिये अनुमोदित किये गये एवं गत वर्ष के अव्ययित शेष अनुदान राशि रूपये शून्य में से राशि रूपये **7,10,400.00** राजस्व व्यय हेतु जिसके लिये यह राशि स्वीकृत की गई थी, उपयोग की गई एवं शेष अनुदान राशि रूपये 45,89,600.00 वर्ष के अन्त में अव्ययित रही।

प्रमाणित किया जाता है कि जिन शर्तों पर अनुदान राशि स्वीकृत की गई है उनकी पूर्ति कर ली गयी है/की जा रही है तथा मैं संतुष्ट हूँ।

(हस्ताक्षरित)

महानिदेशक

राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर

स्थान : जयपुर

दिनांकः 29.06.2017

चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान

(भारत सरकार का संगठन)

कोटा रोड़, बम्बाला, सांगानेर के पास, जयपुर– 302033

जी.एफ.आर. 19–ए

31.03.2017 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र

क्रम सं.	पत्र संख्या एवं दिनांक	डी.डी./आर.टी.जी.एस. की दिनांक	राशि रूपयों में
(i)	शेष राशि दिनांक 01.04.2016 तक	01.04.2016	शून्य
(ii)	सं. जी.20015/7/2016–एम।। दिनांक 26.09.2016	30.09.2016	9,00,000.00
		योग	**9,00,000.00**

प्रमाणित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर जो कि कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्जिन में दिये गये पत्र संख्या वर्ष 2016–17 में अनुदान राशि रूपये **9,00,000.00** जो कि उत्तर पूर्व राज्यों एससीएसपी योजना की विशेष श्रेणी के लिये अनुमोदित किये गये एवं गत वर्ष के अव्ययित शेष अनुदान राशि रूपये **शून्य** में से राशि रूपये **1,01,553.00** राजस्व व्यय हेतु जिसके लिये यह राशि स्वीकृत की गई थी, उपयोग की गई एवं शेष अनुदान राशि 7,98,447.00 वर्ष के अन्त में अव्ययित रही।

प्रमाणित किया जाता है कि जिन शर्तों पर अनुदान राशि स्वीकृत की गई है उनकी पूर्ति कर ली गयी है/की जा रही है तथा मैं संतुष्ट हूँ।

(हस्ताक्षरित)

महानिदेशक

राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर

स्थान : जयपुर

दिनांकः 29.06.2017

चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान

(भारत सरकार का संगठन)

कोटा रोड़, बम्बाला, सांगानेर के पास, जयपुर– 302033

जी.एफ.आर. 19–ए

31.03.2017 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र

क्रम सं.	पत्र संख्या एवं दिनांक	डी.डी./आर.टी.जी.एस. की दिनांक	राशि रूपयों में
(i)	शेष राशि दिनांक 01.04.2016 तक	01.04.2016	21,86,456.00
(ii)	सं. जी.20015/7/2016–एम।। दिनांक 26.09.2016	30.09.2016	8,00,000.00
		योग	**29,86,456.00**

प्रमाणित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर जो कि कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्जिन में दिये गये पत्र संख्या वर्ष 2016–17 में अनुदान राशि रूपये **8,00,000.00** जो कि उत्तर पूर्व राज्य (टीएसपी) के श्रेणी के लिये अनुमोदित किये गये एवं गत वर्ष के अव्ययित शेष अनुदान राशि रूपये **21,86,456.00** में से राशि रूपये **65,799.00** राजस्व व्यय हेतु जिसके लिये यह राशि स्वीकृत की गई थी, उपयोग की गई एवं शेष अनुदान राशि रूपये **29,20,657.00** वर्ष के अन्त में अव्ययित रही।

प्रमाणित किया जाता है कि जिन शर्तों पर अनुदान राशि स्वीकृत की गई है उनकी पूर्ति कर ली गयी है/की जा रही है तथा मैं संतुष्ट हूँ।

(हस्ताक्षरित)

महानिदेशक

राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर

स्थान : जयपुर

दिनांकः 29.06.2017

वित्तीय प्रपत्रों का प्रारूप (गैर–लाभकारी संगठन)

चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान

कोटा रोड, बम्बाला (सांगानेर के पास)– जयपुर–302033

31.03.2017 को समाप्त होने वाले वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे

(राशि रूपये)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. आरम्भिक शेष			**1. व्यय**		
अ) नगद हाथ में	16,879.00	23,166.00	ए) संस्थापना व्यय	268,05,581.00	310,75,432.00
ब) नगद बैंक में			बी) अन्य प्रशासनिक एवं संस्थागत रख–रखाव व्यय	359,88,959.15	152,93,962.90
1. चालू खाते में	59,82,416.10	132,09,679.50	सी) प्रशिक्षण परियोजना एवं संगोष्ठी आदि		
2. जमा खाते में	1384,89,376.00	1246,99,036.00	प्रशिक्षण परियोजना संगोष्ठी आदि (नियाम)	37,58,264.00	64,64,816.00
3. बचत खाते में	10,000.00	10,000.00	प्रशिक्षण परियोजना संगोष्ठी आदि (मार्केट इन्फ्राक्ट्रचर)	0.00	0.00
			प्रशिक्षण परियोजना संगोष्ठी आदि (आर.जी.एस.)	0.00	0.00
2. अनुदान राशि			प्रशिक्षण परियोजना संगोष्ठी आदि (एफ.सी.आर.ए.)	–	1330509.00
अ) भारत सरकार द्वारा			प्रशिक्षण परियोजना संगोष्ठी आदि (पी.जी.डी. (एबीएम)	0.00	141,80,161.00
1. नियाम	740,00,000.00	327,96,000.00			
2. मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स योजना	0.00	0.00	**2. निधि में से किया गया भुगतान विभिन्न योजनाओं के लिये**		
3. केन्द्रीय योजना (ग्रा.भ.यो)	0.00	0.00	ए) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये अग्रिम (नियाम)	69,79,378.00	65,79,732.00
4. राष्ट्रीय मार्केट एटलस योजना	0.00	0.00	बी) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये अग्रिम (ग्रा.भ.यो.)	0.00	0.00
5. एम.आई.डी.एच.	100,00,000.00	0.00	सी) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये अग्रिम (मार्केट इन्फ्राक्ट्रचर)	0.00	0.00
स्थानान्तरण	0.00	0.00	डी) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये अग्रिम (एफ.सी.आर.ए.)	0.00	4,06,091.00
3. विनियोग से आय			**3. विनियोग एवं जमा**		
अ) चिन्हित/स्थायी निधि	0.00	0.00	ए) चिन्हित/ स्थाई निधि (ग्रेजुटी)	39,584.00	0.00
ब) स्वयं का फंड	0.00	0.00	बी) स्वयं के फंड से	0.00	0.00
4. ब्याज प्राप्ति			**4. स्थाई सम्पत्तियों पर खर्चा एवं सीडब्लयूआईपी**		
अ) बैंक जमा पर	25,99,431.00	179,79,497.00	ए) स्थाई सम्पत्तियों का क्रय	22,58,460.00	38,42,117.00
ब) ऋण अग्रिमों (कर्मचारियों) आदि पर	0.00	0.00	बी) सीडब्लयूआईपी पर खर्च	179,33,108.00	0.00
5. अन्य आय			**5. आधिक्य राशि/ऋण की वापसी**		
अ) विविध सेवाओं का शुल्क	89,92,253.00	81,22,808.50	ए) भारत सरकार को	3,30,110.00	0.00
ब) पी.जी.डी.एम. (एबीएम) के लिये शुल्क	356,85,368.75	302,77,550.00	बी) राज्य सरकार को	0.00	0.00
स) विविध आय	25,18,457.00	5,73,409.00	सी) अन्य निधि/ई.एम.डी.	0.00	0.00
			डी) कोशन मनी	1,18,000.00	2,59,500.00
			ई) अंतहस्तान्तरण एवं अन्य	0.00	0.00
6. उधार से राशि	0.00	0.00	**6. वित्तीय शुल्क (ब्याज)**		
			अन्य अग्रिम	1,50,000.00	
			कर्मचारियों को अग्रिम	20,112.00	1,91,081.00
7. अन्य प्राप्तियां			टी.डी.एस.	28,60,183.44	0.00
ए) सुरक्षा /ईमडी प्राप्ति	2,32,700.00	2,73,420.00	बकाया दायित्व (बीएसएनएल)/सीपीडब्ल्यूडी)	54,95,977.00	57,22,308.00
बी) अग्रिम प्राप्ति/वसूली/अंहस्तारण	0.00	4,06,091.00	सिक्यूरिटी जमा	3,52,429.00	1,00,459.00
सी) वाहनों की बिक्री	0.00	0.00	**7. अंतिम शेष**		
डी) कर्मचारियों को अग्रिम	8,495.00	76.00	ए) नकद हाथ में	0.00	0.00
ई) अन्य (विविध वसूली)	49,92,442.44	2,70,062.00	बी) नगद बैंक में		
एफ) ग्रेजुइटी	73,760.00	17,24,445.00	1. चालू खाते में	249,88,601.70	64,02,816.10
			2. जमा खाते में	1555,12,831.00	1384,89,376.00
			3. बचत/ई बैंक खातें	10,000.00	10,000.00
योग	**2836,01,578.29**	**2303,65,240.00**	**योग**	**2836,01,578,.29**	**2303,65,240.00**

संलग्न इसी दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते जी. दत्ता एण्ड कम्पनी
एफ.आर.एन.–2136सी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

गोपाल दत्ता	**उपनिदेशक (लेखा)**	**महानिदेशक,**
अंकेक्षक	**राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राजस्थान,**	**राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राजस्थान,**
एम.नं. 071312	**जयपुर**	**जयपुर**

स्थानः जयपुर
दिनांकः

वित्तीय प्रपत्रों का प्रारूप (गैर–लाभकारी संगठन)

चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान

कोटा रोड, बम्बाला (सांगानेर के पास)– जयपुर–302033

31.03.2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय एवं व्यय खाता

(राशि रूपये)

संस्थागत/पूंजी निधि एवं दायित्त्व	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
बिक्री/ सेवा से आय	12	14779370.00	3542871.50
अनुदान/ आर्थिक सहायता	13	48603959.83	48871357.44
शुल्क/चन्दा	14	42274665.75	42700351.00
विनियोग से आय (चिन्हित/स्थाई निधि, स्थानान्तरित निधि के विनियोग के ब्याज से प्राप्त आय	15	87400.00	1567123.00
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से प्राप्त आय	16	0.00	0.00
ब्याज से आय	17	1536383.00	2162296.00
अन्य आय	18	884750.00	686263.00
स्कन्ध/पक्का एवं अर्द्धनिर्मित माल में वृद्धि/(कमी)	19	0.00	0.00
कुल (अ)		**108166528.58**	**99530261.94**
व्यय			
संस्थापना व्यय	20	30375605.00	27676189.00
अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	21	41149471.98	45651196.11
ग्रामीण भण्डार अनुदान/आर्थिक सहायता व्यय	22	0.00	0.00
ब्याज	23	0.00	0.00
पूर्व समायोजन		0.00	0.00
ह्रास (वर्ष के अन्त तक शुद्ध गणना–अनुसूची 8 से सम्बन्धित		0.00	0.00
कुल (ब)		**71525076.98**	**73327385.11**
आय का व्यय पर आधिक्य शेष (अ–ब)		**36641451.60**	**26202876.83**
सामान्य संचय से/को हस्तान्तरित		0.00	0.00
आधिक्य/घटत (शेष संस्थागत/पूंजी निधि में हस्तान्तरित)		**36641451.60**	**26202876.83**
अभियंजक लेखा नीतियां	24		
संदिग्ध दायित्व एवं लेखों पर टिप्पणियां	25		

संलग्न इसी दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते जी. दत्ता एण्ड कम्पनी
एफ.आर.एन.–2136सी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

गोपाल दत्ता अंकेक्षक एम.नं. 071312	उपनिदेशक (लेखा) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राजस्थान, जयपुर	महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राजस्थान, जयपुर

स्थानः जयपुर
दिनांकः 29.06.2017

वित्तीय प्रपत्रों का प्रारूप (गैर–लाभकारी संगठन)

चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान

कोटा रोड, बम्बाला (सांगानेर के पास)– जयपुर–302033

31.03.2017 का तुलन–पत्र

(राशि रूपये)

संस्थागत/पूंजी निधि एवं दायित्त्व	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
संस्थागत/पूंजी निधि	1	211286579.45	180583092.03
संचय/आधिक्य	2	0.00	0.00
चिन्हित/स्थाई निधि	3	251380437.10	228902621.71
सुरक्षित ऋण एवं उधारियां	4	0.00	0.00
असुरक्षित ऋण एवं उधारियां	5	0.00	0.00
स्थगित जमा दायित्व	6	0.00	0.00
चालू दायित्व	7	34940031.00	38673409.21
योग		**497607047.55**	**448159122.95**
सम्पत्तियाँ			
स्थाई सम्पत्तियाँ	8	280526606.35	257947309.35
विनियोग–चिन्हित/स्थाई निधि से	9	12141321.00	12101737.00
विनियोग–अन्य	10	0.00	0.00
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	204939120.20	178110076.60
विविध व्यय (जहां अपलिखित या समायोजित नहीं किये हों।			
योग		**497607047.55**	**448159122.95**
अभियंजक लेखा नीतियां	24		
संदिग्ध दायित्व एवं लेखों पर टिप्पणियां	25		

संलग्न इसी दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते जी. दत्ता एण्ड कम्पनी
एफ.आर.एन.–2136सी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

गोपाल दत्ता अंकेक्षक एम.नं. 071312	उपनिदेशक (लेखा) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राजस्थान, जयपुर	महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राजस्थान, जयपुर

स्थानः जयपुर
दिनांकः 29.06.2017